प्राक्थन

1. मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है अत: मतदाता सूची जितनी सही और दोष रहित रहेगी चुनाव उतने ही साफ-सुथरे होंगे, इसलिए यह अति आवश्यक है कि मतदाता सूची में उन सब लोगों के नाम शामिल हों जिन्हें कानून के अन्तर्गत मत देने का अधिकार प्राप्त है और ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न किया जाए जिसे यह अधिकारी प्राप्त नही है।

2. उपायुक्त द्वारा प्रथम या द्वितीय श्रेणी स्तर के मैजिस्ट्रेट को बतौर पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो मतदाताओं का रजिस्टरीकरण तथा मतदाता सूचियां तैयार करेगा। मतदाता सूचियां तैयार करने से सम्बन्धित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के मकसद से राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा यह आवश्यक हो गया है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए तथा पिछले अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया जाये तथा एक पुस्तक का संस्करण निकाला जाये।

3. इस बात का प्रयास किया गया है कि इन निर्देशों में वे सभी आवश्यक बातें सम्मिलित हों जिनका सम्बन्ध मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में लगे विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से है, फिर भी इन निर्देशों को सर्वे सर्वा नहीं समझा जाना चाहिए तथा सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों को भी साथ में देख लिया जाना चाहिए।

4. आशा है कि मतदाता सूचियां तैयार करनेके कार्य से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों का सावधानी से पालन करेंगें ताकि पालिकाओं के निर्वाचन के लिए सही और दोष रहित मतदाता सूचियां तैयार हो सकें।

चण्डीगढ
तिथि

धर्म वीर
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तंत्र तथा कानूनी प्रावधान।	
2.	मतदाता सूची तैयार करना।	
3.	मतदाता सूची का प्रकाशन तथा उसके निरीक्षण की व्यवस्था।	
4.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना।	
5.	दावों और आपित्तयों की जांच ओर उनका निपटारा।	
6.	पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील।	
7.	अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन।	
8.	अंतिम रूप में प्रकाशित नामावली में नाम सम्मिलित करना।	
9.	मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित कागज-पत्रों की अभिरक्षा।	

परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ
(एक)	मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उद्धरण।	
(दो)	मतदाता सूची तैयार करने से संबधित हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम,1978 का उद्धरण।	
(तीन)	मुख्य पृष्ठ।	
(चार)	मतदाता सूची का नमूना (फारमेट)	
(पांच)	नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना।	
(छः)	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप।	
(सात)	पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप।	
(आठ)	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा आवेदन का (प्ररूप-क)।	
(नौ)	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति का प्ररूप (प्ररूप-ख)।	
(दस)	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपति का प्ररूप (प्ररूप-ग)।	
(ग्यारह)	नगरपालिका की मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाश की सूचना	
(बारह)	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण।	
(तेरह)	दावे का प्रकरण रजिस्टर।	
(चौदह)	आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर।	

(पन्द्रह)	मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना (प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर ।)
(सौलह)	अनुपूरक मतदाता सूची।
(सत्रह)	पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील।
(अठारह)	मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन की सूचना।
(उन्नीस)	मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात नाम पंजीकृत करवाने के सम्बन्ध में (प्ररूप-"घ")

अध्याय–1

मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तंत्र तथा कानूनी प्रावधान

नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं तथा नगरनिगमों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद '243'–य क' के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक ऐसा ही आनुषंगिक प्रावधान हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 3क/हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 में भी है ।

नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं तथा नगरनिगमों की मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाती है ।

प्रशासनिक तंत्र

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 4 के उप–नियम (1) तथा हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4 के उप–नियम (1) के अधीन, प्रत्येक नगरपरिषद, नगरपालिका तथा नगरनिगम के लिये मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की निगरानी, निर्देश व नियंत्रण में इन नियमों के अनुसरण में उपायुक्त को नियुक्त किया गया है ।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने उन्हें प्रकाशित करने का दायित्व सारा उपायुक्त का है, उसके नियंत्रण और सर्वोपरि समन्वयकारी भूमिका के अंतर्गत नगरपालिकों/नगरनिगम की मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्य हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 8/हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8 में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है ।

1. उपायुक्त नगरपरिषद, नगरपालिका तथा नगरनिगम पर नियुक्त पुनरीक्षण प्राधिकारी को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी है, उपायुक्त के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित हैं:–

    1. प्रत्येक जिला के अंतर्गत आने वाली नगरपरिषद, नगरपालिका व नगरनिगम की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना ।
    2. मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार करना ।
    3. मतदाता सूचियों का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए स्थान निर्धारित करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
    4. निर्धारित स्थानों पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म) अन्य कागजात तथा सामग्री उपलब्ध कराना ।

5. दावों और आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचियों के मुद्रण की व्यवस्था करना तथा मुद्रण के उपरान्त सूचियों का अंतिम प्रकाशन करना ।

6. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां, सभी कागज–पत्रों सहित जिनमें नामावली की एक पूर्ण प्रति, पूर्ण हस्तलिखित नामवली और दोहरी पेस्टिंग फाइलें मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों से सम्बन्धित प्रकरण और उनमें पारित पुनरीक्षण प्राधिकारी/उपायुक्त द्वारा तथा उपायुक्त के आदेशों के विरूद्व राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई सभी अपीलें सम्मिलित हैं, उपायुक्त कार्यालय में प्राप्त करना और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखना ।

7. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का सशुल्क निरीक्षण करने या उनके किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूचियों के विकय की व्यवस्था करना ।

2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 10 के उप–नियम (2), हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994के नियम 10 के उप–नियम (2) के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदन कर सकता है तथा उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तिथि तक ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है या रदद कर सकता है या दावे अथवा आक्षेप के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जैसे वह उचित समझे ।

कानूनी प्रावधान

(1) अधिनियमः– हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973/हरियाणा नगरनिगम अधिनियम 1994 के अंतर्गत मतदाताओं की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रावधान है, उनका उद्वरण परिशिष्ट–एक पर है

(2) नियमः– उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए 'निर्वाचन नियम' हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978/हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 कहलाते हैं, इन नियमों के अंतर्गत सूची तैयार करने से सम्बन्धित प्रावधान परिशिष्ट–दो पर उदधृत है ।

3. पदाभिहित अधिकारी :–

नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं व नगरनिगम की मतदाता सूचियों में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए नियम 8 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेटों के स्तर के अधिकारी तथा नियम 10 के उपनियम (2) के अंतर्गत उपायुक्त को अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है ।

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता तथा निर्हरताः–

(I) प्रत्येक नगरपरिषद, नगरपालिका व नगरनिगम के लिए मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाएगी ।

(II) मतदाता सूची तैयार करने कि लिए अर्हककारी तारीख (क्वालिफाइंग डेट) उस वर्ष की पहली जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाए ।

(III) मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने के लिए अर्हताः–

(क) *कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची का हकदार होगा, यदि वह अर्हककारी तारीख को (अर्थात उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,*

(ख) *उस नगरपरिषद, नगरपालिका तथा नगरनिगम के क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी (अर्थात सामान्यता निवासी) है, और*

(ग) *विधान सभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त नगरपरिषद, नगरपालिका व नगरनिगम से सम्बन्धित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिए अन्यथा अर्हित है,*

(घ) *कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड की नामावली में नाम पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड के लिए नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा ।*

(ङ.) *कोई संसद सदस्य या राज्य के विधायक का पदाविधि के दौरान उस चुनाव मे जिसकी नामावली में उसका नाम ऐसे सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के समय मतदाता के रूप में पंजीकृत है, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में अनुपस्थिति के कारण सामान्य निवासी होने का अधिकार समाप्त नहीं होगा ।*

(IV) *मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने के लिए निरर्हताः–*

कोई भी मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने के लिए अपात्र होगा यदि वह–

(क) *भारत का नागरिक नहीं है, या*

(ख) *विक्षिप्त है या संक्षम न्यायालय द्वारा उसे घोषित किया गया है, या*

(ग) *सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1995 (1955 के अधिनियम 22) के अधीन किसी अपराध का सिद्वदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्वि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, नहीं बीत गई हो, या*

(घ) *निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है ।*

(ङ.) *जो फिलहाल चुनाव के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बन्धित किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिए अयोग्य है,*

(च) *नियत तिथि को आयु अठारह वर्ष से कम है ।*

'व्याख्या' नामावली तैयार करने या संशोधित करने के सम्बन्ध में नियत तिथि से अभिप्राय है, तैयार या संशोधित किए जाने वाले वर्ष की प्रथम जनवरी ।

(V) *किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो ।*

अध्याय–2

मतदाता सूची तैयार करना

नगरपरिषद/नगरपालिकाओं/नगरनिगम के साधारण निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करनाः–

(i) नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के साधारण निर्वाचन (आम चुनाव) के लिए मतदाता सूची, विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नियमावली (अर्थात तत्समय प्रभावशाली निर्वाचक नियमावली) के आधार पर, वार्डवार, तैयार की जाएगी, इस हेतु उपायुक्त द्वारा जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की, प्रचलित निर्वाचक नियमावली की एक प्रति, जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाए और उसे पालिकावार भागों में बांटा जाए, तत्पश्चात् प्रत्येक सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम का भाग सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाए । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की नगरपरिषद/नगरपालिकावार/निगमवार प्रतियां तैयार कराते समय इस बात की सावधानी से जांच की जाए कि वे पूर्ण और सुसंगत है और उनके साथ संलग्न अनुपूरक सूचियां भी लगी हैं ।

प्राप्त निर्वाचक नामावली के आधार पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए, इस कार्य में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम की सहायता ली जाए, सामान्यतया प्रत्येक पुनरीक्षण प्राधिकारी को एक नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य का दायित्व सौंपा गया है । यह कार्य नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय में निम्नानुसार सम्पन्न किया जाएः–

(I) सर्वप्रथम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गली मोहल्ले को चिन्हित किया जाए और फिर प्रत्येक गली/मोहल्ले में सम्मिलित मकानों की अवस्थिति (लोकेशन) के अनुसार उनके समक्ष, हाथ से उस वार्ड का कमांक (नम्बर) लिखा जाए जिसके अंतर्गत वे मकान आते हैं ।

(II) तत्पश्चात नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के लिए, उसके विभिन्न वार्डों के अंतर्गत आने वाले मकानों और मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक 'आधार–पत्रक' परिशिष्ट–तीन के अनुसार तैयार किया जाए ।

(III) उपरोक्तानुसार तैयार किए गए आधार पत्रक का मौके पर, वार्डों का अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान किया जाए, ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि किसी वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंदर स्थित कोई भी मकान/आवास–स्थान उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित होने से

रह न जाए और न ही उसमें ऐसा कोई मकान/आवास स्थान सम्मिलित होने पाए जो वस्तुतः उस वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंतर्गत न होकर, उसके बाहर अर्थात किसी अन्य वार्ड में स्थित है । मिलान का यह कार्य पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित हल्का इन्सपैक्टर तथा सचिव नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की संयुक्त टीम से कराया जाए । मिलान में कोइ गल्ती मालूम पड़ने पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मतदाता सूची को तदनुसार सुधार लिया जाए ।

(2) *मतदाता सूची की हस्तलिखित प्रति तैयार करना ।*

आधार–पत्रक (परिशिष्ट–तीन) की जांच पड़ताल हो जाने पर प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मतदाता सूची की हस्तलिखित प्रति तैयार करने के कार्य के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के कार्यकारी अधिकारी/सचिव सहित, विभिन्न शासकीय कार्यालयों के कुछ चुने हुए कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित तारीख/तारीखों को अपने कार्यालय या सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम कार्यालय में एक साथ बुलाया जाए । इसकार्य हेतु उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाए जिनका हस्तलेखन अच्छा हो । चयनित प्रत्येक कर्मचारी को 2 से 5 वार्डों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार करने का कार्य सौंपा जाए, यह कार्य पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपनी स्वयं की देखरेख में सम्पन्न कराया जाए ।

हस्तलिखित प्रति तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विधानसभा की निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित भाग अनुकमांक के साथ सलंग्न अनुपूरक सूची में दर्ज परिवर्धन (अर्थात जोडे हुए अतिरिक्त नाम) संशोधन (अर्थात प्रविष्टियों में की गई त्रुटियों का सुधार) तथा विलोपन (अर्थात नामावली में से विलोपित नाम) मूल सूची में एकीकृत (इन्टीग्रेट) कर दिए जाएं, दूसरे शब्दों में अनुपूरक सूची में जो भी परिवर्धन दर्ज हों उन्हें मूल निर्वाचक नामावली में सही स्थान पर, अर्थात सुसंगत मकान नम्बर के पास लाल स्याही से दर्ज किया जाए । इसी प्रकार निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों अर्थात मकान नम्बर, नाम पिता/पति का नाम तथा आयु में त्रुटियों के सुधार से सम्बन्धित जो संशोधन हुए हों, उन्हें भी मूल नामावली में यथास्थान लाल स्याही से सुधार दिया जाए । ठीक इसी प्रकार, जो नाम मृत्यु या नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम छोड़कर चले जाने से या पात्रता न रहने के कारण अनुपूरक सूची में विलोपन शीर्ष के अंतर्गत दर्ज हों, वे यदि मूल नामावली मे लाल स्याही से न कटे हुए हों तो उन्हें लाल स्याही से काट दिया जाए तदुपरांत नामावली के सम्बन्धित भाग अनुकमांक में सम्मिलित मतदाताओं के सरल कमांक (सीरियल नम्बर) सिलसिलेवार 01 से अंत तक नए सिरे से लिख दिए जाएं ।

उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के पश्चात आधार पत्रक (परिशिष्ट–तीन) के आधार पर नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मतदाता सूची की, वार्डवार हस्तलिखित प्रति परिशिष्ट–चार के अनुसार तैयार की जाए । हस्तलिखित प्रति में प्रविष्टियों का कम निम्नानुसार रहेगाः–

(1) *कमांक*

(2) *विधानसभा मतदाता सूची का कमांक*

(3) *गृह कमांक (मकान नम्बर)*

(4) *मतदाता का नाम*

(5) *मतदाता के पिता/पति का नाम*

(6) *पुरूष/महिला*

(7) *आयु (जिस वर्ष सूची तैयार की गई है उस वर्ष की पहली जनवरी को)*

(8) *पहचान पत्र कमांक*

हस्तलिखित प्रति में प्रविष्टियों को 'रनिंग मैटर' की तरह, दो स्तम्भों (कालम्स) में लिखा जाए और प्रत्येक पृष्ट के शीर्ष पर, बाईं ओर नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम जैसी स्थित हो, का नाम तथा बीच में पृष्ठ कमांक लिखा जाए, सूची मे सम्मिलित प्रत्येक वार्ड का कमांक कोष्टक में सम्बन्धित मोहल्ले, गली का नाम सहित, सूची की शुरूआत में, एक उप–शीर्षक के तौर पर, बड़े अक्षरों में अंकित किया जाए जिससे यह आसानी से देखा जा सके कि सूची में कौन सा वार्ड, किस मोहल्ले, गली में है और कहां से (अर्थात किस गृह कमांक से शुरू हो रहा है) और कहां पर समाप्त हो रहा है, प्रत्येक नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम की हस्तलिखित प्रति के प्रथम पृष्ठ के शुरू के आधे भाग को कोरा छोड़ दिया जाए ताकि सूची पूरी बन जाने पर, उसमें परिशिष्ट चार में दिये गये नमूने के अनुसार सार–विवरण (गोशवारा) अंकित किया जा सके ।

नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए पोलिंग बूथ के अनुसार एक के बाद एक कमानुसार अलग अलग बनाई जाए । परन्तु सूची में मतदाताओं के सरल कमांक (सीरियल नम्बर) नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के वार्ड के लिए कमांक 01 से प्रारम्भ कर अंत तक सिलसिलेवार लिखे जाएं ।

नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मतदाता सूची की हस्तलिखित प्रति तैयार हो जाने पर उसके अंत में, उसे तैयार करने वाले कर्मचारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएं, साथ ही, सूची के प्रथम पृष्ट के प्रारंभिक अर्द्धभाग में, जो कि कोरा छोड़ दिया गया था, परिशिष्ट–चार मे दिये गए नमूने के अनुसार, गोशवारा दर्ज किया जाए । तत्पश्चात प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की हस्तलिखित प्रति की, वरिष्ट स्तर के कुछ अन्य कर्मचारियों से जांच कराई जाए और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाए तो उन्हें सुधार दिया जाये । जांच करने वाले कर्मचारी द्वारा भी जांच के पश्चात सूची के अंत में अपने हस्ताक्षर किए जाएं ।

(3) *हस्तलिखित प्रति की नमूना जांचः–*

जिस पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम आती है उसके द्वारा स्वयं भी हस्तलिखित प्रति की नमूना जांच की जाए ओर उसके पूर्ण और सही होने के संबंध में संतुष्टि हो जाने पर उसके अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अप्रमाणित किया जाए ।

पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इस बात की विशेष तौर पर जांच की जाए कि क्या सूची में नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के सामान्यतः निवासी संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य के नाम

सम्मिलित हैं या नहीं ? यदि इनमें से किसी का नाम छूट गया हो तो उसे जोड़ा जाए और सूची की एक बार पुनः सावधानी से संवीक्षा की जाए ।

उपरोक्तानुसार नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के अंतर्गत आने वाले समस्त वार्डों की मतदाता सूचियो की हस्तलिखित प्रतियां तैयार हो जाने पर, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उन्हें उनकी एक फोटो कापी कराकर दो सैटस तैयार किए जाएं मूल सेट अपनी अभिरक्षा में रखते हुए, उसके द्वारा फोटो कापी वाला 'सैट' उपायुक्त को मुद्रणार्थ भेज दिया जाए ।

(4) *<u>मतदाता सूची का मुद्रणः–</u>*

विभिन्न प्रयोजनों के लिए नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम मतदाता सूची की 40 प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है, अतएव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मुद्रणालय से मुद्रण की तदनुसार कार्यवाही की जाए । सूची के पहले पृष्ठ को छोड़कर जिसके आधे भाग में सार–विवरण (गोशवारा) मुद्रित किए जाने के कारण 50 मतदाताओं के नाम रहेंगे, बाद के प्रत्येक पृष्ट में लगभग 100 मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए अतएव यदि किसी मतदाता सूची में लगभग 5000 मतदाता हों तो, मुद्रित सूची का आकार लगभग 45 से 50 पृष्ठों का रहेगा ।

मुद्रित प्रति की (प्रूफ रीडिंग) का दायित्व संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी का होगा । यह कार्य बहुत सावधानी से किया जाना अपेक्षिम हो ताकि सूची में कोई बड़ी गल्ती – जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि – न होने पाए ।

2, <u>पालिकाओं में उप–निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करनाः–</u>

पालिकाओं के उप–निर्वाचन के संदर्भ में मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः–

उपायुक्त द्वारा जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की प्रचलित निर्वाचन नामावली की एक प्रति जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाए और उसे पालिकावार भागों में बांटा जाए । इसबात का ध्यान रखा जाए कि निर्वाचक नामावली की पालिकावार प्रतियां पूर्ण और सुसुगत हें और उनके साथ सलंग्न अनुरूपक सूचियां लगी हुई हैं । साथ ही, उपायुक्त द्वारा, प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मतदाता सूचियों का एक सेट जो कि विगत निर्वाचन के समय तैयार किया गया हो, अपने स्टाक से निकाला जाए, इन दोनों को इकटठा करके सम्बन्धिम पुनरीक्षण प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाए ।

पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विगत निर्वाचन के समय तैयार किये गये सैट में से उन वार्डों की मतदाता सूचियों को विस्तृत पुनरीक्षण हेतु अलग कर लिया जाए जो उससमय रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जिसमें सदस्य का उप–निर्वाचन होना है तत्पश्चात इन सूचियों का विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली वाले सैट के, सुसंगत भाग के साथ मिलान करके, इन्हें अद्यतन किया जाए । इसका सहज तरीका यह है कि दो–दो कर्मचारियों की टोली नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की विगत निर्वाचन से सम्बन्धित 'मतदाता सूची' तथा विधानसभा की 'प्रचलित निर्वाचक नामावली' के सुसंगत भाग अनुकमांक सौंपे जाए । टोली का पहला कर्मचारी एक एक करके मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के नाम कमशः पढ़ता जाएगा तथा दूसरा कर्मचारी विधानसभा के संसुगत भाग अनुकमांक की निर्वाचक नामावली में उन नामों के सामने सही का निशान (✓) लगाता जाएगा । इस प्रकार नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम मतदाता सूची का

विधानसभा की निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग से मिलान कार्य पूरा हो जाने पर, विधानसभा की निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग में जो नाम शेष रह जाएं उन्हें सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के समबन्धित वार्डों की अनुरूपक मतदाता सूची में परिवर्धन से सम्बन्धित जोड़ दिया जाए । विधानसभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम संशोधित किये गये हों, (अर्थात संशोधन सूची में सम्मिलित हो) यदि वे नगरपरिषद/नगरपालिका/ नगरनिगम की मतदाता सूची में भी अशुद्व रूप से छपे हुए हों तो उन्हें लाल स्याही से संशोधित कर दिया जाए और उनकी प्रविष्टि अनुपूरक सूची में संशोधन से सम्बन्धित खण्ड में की जाए । इसी कम में, विधानसभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम कटे हुए हो अर्थात विलोपन सूची में सम्मिलित हों, उन्हें नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मतदाता सूची में भी लाल स्याही से काट दिया जाए और सम्बन्धित अनुरूपक सूची में विलोपन से सम्बन्धित खण्ड में दर्ज किया जाए । कदाचित यदि नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मूल सूची में ऐसे नाम पहले से ही न हों तो उनके विलोपन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह संभव है कि नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम हों जो विधानसभा की 'निर्वाचक नामावली में समाविष्ट न हों ऐसे अतिरिक्त नामों को नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम की 'मतदाता सूची' से काटा न जाए । उन्हें यथावत बने रहने दिया जाए ।

संशोधित अनुरूपक सूची में 'परिवर्धन खण्ड' के अंतर्गत सम्मिलित मतदाताओं के सरल कमांक (सीरियल नम्बर) मूलसूची की कमसंख्या के आगे जारी रखे जाए । उदाहरणार्थ यदि मूल सूची में अंतिम मतदाता का सरल कमांक 937 हो तो परिवर्धन कमांक 939 से प्रारम्भ की जाए और उसे कमशः आगे बढ़ाया जाए ।

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका/ नगरनिगम के लिए अलग–अलग अनुरूपक सूची की हस्तलिखित प्रति तैयार करने की कार्यवाही हाथ में ली जाए । यह कार्य कार्यालय के ऐसे कुछ चुने हुए कर्मचारियों से कराया जाए जिनका हस्तलेखन अच्छा हो, रिक्त निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं/नगरनिगम की अनुरूपक सूचियों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार हो जाने पर किसी वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी से उनकी जांच कराई जाए और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाए तो उसे सुधार दिया जाए । तदुपरान्त पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा हस्तलिखित प्रति की स्वयं नमूना जांच की जाए और उनके पूर्ण और सही होने के संबंध में संतुष्टि हो जाने पर प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम से सम्बन्धित अनुरूपक सूची की हस्तलिखित प्रति के अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए । तत्पश्चात उप–निर्वाचन वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी मतदाता सूचियां (संशोधित अनुरूपक सूचियों सहित) इकटठां करके उनकी फोटो कापी कराकर, एक अतिरिक्त सेट तैयार कराया जाए । मूल सेट अपने पास रखते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दूसरा सैट उपायुक्त को मुद्रणार्थ भेज दिया जाए ।

<u>विशेष टीप</u>

उपरोक्त विवरण ये यह देखा जाएगा कि नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के उप निर्वाचन के संदर्भ में, केवल उन्ही वार्डों के प्रारूप मतदाता सूचियां, विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जानी है जो नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के ऐसे रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें सदस्य का उप–निर्वाचन होना है शेष निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों के मामले में, मतदाताओं को दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूचियां सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम या जैसी स्थिति हो के कार्यालय, के नोटिस वार्डों पर, जिस वार्ड से सूची सम्बद्व है, उस वार्ड में एक या दो सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाया जाना पर्याप्त है । इस सम्बन्ध में निर्देश अध्याय 3 के पैरा 5 में दिए गए हैं ।

<u>मुद्रण</u>

विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रश्नाधीन निर्वाचन क्षेत्र (अर्थात जिसमें उप–चुनाव होना है) की मतदाता सूची की 30 प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है अतएव जिला स्तर पर मुद्रण की तदानुसार कार्यवाही की जाए । नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम के प्रत्सेक वार्ड की मतदाता सूची के पहले पृष्ट को छोड़कर– जिसके आधे भाग में सार विवरण (गोशवारा) मद्रित किए जाने के कारण मतदाताओं के नाम मुद्रित करने के लिए पूरा स्थान उपलब्ध नहीं रहता, बाद में प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 100 मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए । अतएव यदि किसी नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरनिगम में मतदाताओं की संख्या 5000 हो तो मुद्रित सूची का आकार लगभग 45 या 50 पृष्ठों का रहेगा ।

मुद्रित प्रति की 'प्रूफ रीडिंग' का दायित्व सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी का होगा । यह कार्य बहुत सावधानी से किया जाना अपेक्षित है ताकि सूची में कोई बड़ी गल्ती–जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि न होने पाए ।

अध्याय–3

मतदाता सूची का प्रकाशन तथा उसके निरीक्षण की व्यवस्था

1, मतदाता सूची के निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रो (स्थानों) का निर्धारणः–

नगरनिगम की मतदाता सूची तैयार हो जाने पर उन्हें सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था निम्नांकित स्थानों पर की जाएः–

(I) सम्बन्धित उपायुक्त का कार्यालय

(II) नगरनिगम

(III) ऐसे उन दूसरे स्थानों पर जो सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

2, प्रचार–प्रसारः–

(I) उपरोक्त स्थानों के बाबत जहां कि मतदाता सूचियां सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखी जानी प्रस्तावित हों, तथा पालिका में जिस स्थान पर उनके बारे दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए । इस हेतु सूचियों के प्रकाशन के कम से कम तीन दिन पूर्व परिशिष्ट–पांच में दिये गये प्ररूप मे ऐसे स्थानों में एक सूचना प्रदर्शित की जाए, सूचना का प्रदर्शन नगरनिगम मेंएक या दो सहज दृश्य स्थानों पर भी किया जाए । स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र से भी इस सम्बन्ध में प्रचार कराया जाए ।

3, प्रशासनिक व्यवस्थाः–

(I) मतदाता सूची का निरीक्षण कराने के लिए नगरनिगम के लिए निर्धारित प्रत्येक केन्द (स्थान) में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है, सूची का निरीक्षण कराए जाने तथा दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूची तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ होते ही कर लिया जाना चाहिए, नगरनिगम कार्यालय का कर्मचारी या सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय का कर्मचारी हो सकते हैं

चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश परिशिष्ट–छः में दिए गए प्ररूप में पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएं परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन उपायुक्त से प्राप्त कर लिया जाए ।

जहां तक पुनरीक्षण प्राधिकारी को सहायता प्रदान करने का प्रश्न है सामान्यतया नगरनिगम के सचिव को नियुक्त किया जाए । परन्तु जिले में उपलब्ध नायब तहसीलदारों की संख्या कम होने पर कानूनगो को भी नियुक्त किया जा सकता है । पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता के लिए अधिकारियों के नियुक्ति आदेश उपायुक्त द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदात सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के लिए अधिसूचना जारी होते ही, जारी कर दिए जाएं, नियुक्ति आदेश परिशिष्ट–सात में दिए गए प्ररूप में जारी किए जाएं ।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन, निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) के लिए नियुक्त किये गए समस्त प्राधिकृत कर्मचारियो को अपने कार्यालय या सम्बन्धित पालिका में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए उन्हें मतदाताओं

के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा उनके प्रभार के क्षेत्र की मतदाता सूची की एक प्रति के साथ अन्य आवश्यक सामग्री का प्रदाय भी किया जाए ।

(3) *जिन केन्द्रों (स्थानों) में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है उनका पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पहले से ही निरीक्षण करके वहां बैठने और कार्य करने के लिए निर्धारित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ।*

(4) *प्रकाशित सूची की सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व निरीक्षण केन्द्र (स्थान) पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा । दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यकारी दिन पूरे समय सम्बन्धित निरीक्षण केन्द्र पर निरन्तर उपस्थित रहना आवश्यक है ।*

(5) *पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) का बीच–बीच में निरीक्षण किया जाए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है तो उसे तत्परता से दूर किया जाए ।*

(6) *दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित (स्थान) में मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु आने वाले लोगों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए । प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपत्तियों के लिए प्रयोग में लाने के लिए प्ररूप अथवा फार्मों के एक एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित किए जाएं ।*

(7) *पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपत्तियों से सम्बन्धित कार्य सम्पादन के लिए निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी अतएव इनकी पहले से व्यवस्था कर ली जाएः–*

(I) *दावे तथा आपत्तियों के लिए फार्म (परिशिष्ट–आठ, नौ तथा दस)*

(II) *दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण (परिशिष्ट–ग्यारह)*

(8) *प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी उस पुनरीक्षण प्राधिकारी से सम्बद्व रहेगा जिसके अधिकारी क्षेत्र के किसी केन्द्र (स्थान) में उसे नियुक्त किया गया है ओर उसी के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा ।*

(4) <u>*मतदाता सूची का प्रकाशनः–*</u>

उस तारीख को, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चत की गई हो, मतदाता सूची आम लोगों के निरीक्षण के लिए प्रकाशित कर दी जाए, इस हेतु हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 7/हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 7 के अंतर्गत संशोधित प्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा निम्नांकित कार्यालयों में से प्रत्येक के नोटिस बोर्ड पर, परिशिष्ट–ग्यारह में दिए गए प्ररूप में से एक नोटिस लगाया जाए ।

(i) *सम्बन्धित उपायुक्त के कार्यालय में*

(ii) *नगरनिगम के कार्यालय में*

(iii) *नगरनिगम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वार्ड में एक या दो सहज दृश्य स्थानों पर ।*

(5) *<u>नगरनिगम के उप–निर्वाचन के सम्बन्ध में विशेष उपबन्धः–</u>*

(1) *नगरनिगम में सदस्य के रिक्त स्थान को भरने के लिए नगरनिगम की सम्पूर्ण मतदाता सूची को पुनरीक्षित किया जाना जरूरी है, इस हेतु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड में उस नगरनिगम की (अध्याय 2 के प्रावधान अनुसार तैयार की गई) प्रारम्भिक मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनमें प्राथमिक जांच करने उपरान्त उन्हें पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास पहुंचाने के लिए एक प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किया जाए, प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्य तथा उनके माध्यम से प्राप्त दावे और आपत्तियों के निराकरण का कार्य का पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाए ।*

(2) *नगरनिगम के उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर जिसमे उप–निर्वाचन होना है, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण (और मुद्रण) मआवश्यक नहीं है, फिर भी उनका प्रारम्भिक प्रकाशन करना और उनके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर सुलभ कराना जरूरी है, क्योंकि सैद्वाांतिक रूप से नगरनिगम के उप–निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी यथास्थिति, नगरनिगम के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो सकता है, अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्यतः निवास करने वाले मतदाताओं को दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए नगरनिगम की प्रचलित मतदाता सूचियों को अर्थात जो कि पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई हो, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नगरनिगम के कार्यालय में रखा जाए और वहीं पर निर्धारित अवधि के दौरान उनके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए ।*

प्रस्तुत दावों और आपत्तियों में जांच और सुनवाई के पश्चात संशोधित प्राधिकारी द्वारा अध्याय–7 के प्रावधानों के अनुसार नगरनिगम की मतदाता सूचियों को अन्तिम रू॰ से संशोधित किया जाए ।

<u>टीपः–</u>

यहा पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 12 के अंतर्गत पिछले निर्वाचन के समय नियम 4 से 11 के प्रावधान के अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची तब तक प्रभावशाली रहती है जब तक कि इसे पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता है । चूंकि किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में कराये जाने वाले उप–निर्वाचन में सामान्यतया उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के मतदातागण मतदाता सूचियों के संशोधन में कोई विशेष रूचि प्रदर्शित नहीं करते,अतएव शेष निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण अर्थात विधानसभा की निर्वाचन नामावली के आधार पर उन्हें नये सिरे से तेयार करना और उनमें संशोधन के लिए प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त करना अनावश्यक है, और न ही ऐसी सूचियों का, पुनरीक्षण के पश्चात मुद्रण आवश्यक है । ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या किसी प्रविष्ट को संशोधित या विलोपित कराने के इच्छुक मतदाताओं को इस हेतु समुचित अवसर देने के

लिए पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूची को प्रारम्भिक (प्रारूप)सूची के तौर पर उपयोग में लाया जाता है और इस प्रयोजन के लिए केवल उपर्युक्त कार्यालयों अर्थात उपायुक्त कार्यालय, पुनरीक्षण प्राधकारी का कार्यालय और नगरनिगम तथा ऐसे उन दूसरे स्थानों पर जो उपायुक्त द्वारा निर्धारित किए गए हों में व्यवस्था करना सर्वदा विधिसम्मत हे और पर्याप्त है ।

अध्याय–4

दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान (अर्थात प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक) कभी भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्राधिकृत कर्मचारी को उक्त अवधि के दौरान बराबर निर्धारित स्थान में उपस्थित रहना चाहिए, यदि कोई मतदाता चाहे तो सीधे पुनरीक्षण प्राधिकारी को भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है या डाक से भेज सकता है ।

(2) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दावे, आपत्ति या प्रविष्टियों के संशोधन के लिए फार्म मांगे जाने पर (और यदि उसकी कोई कीमत निर्धारित की गई है तो उसका भुगतान करने पर) तत्परता से प्रदान किया जाए ।

(3) सामान्यतयाः व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकटठा करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए, यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो) दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत की जाएं तो इन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन पत्र दिलाएं, क्योकि दावे और आपत्तियों के आवेदनों पर जांच के सिलसिले में अलग–अलग पूछताछ की जानी होगी ।

(4) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की जा सकती हैः–

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न होना, नाम गल्त स्थान पर या अशुद्व विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना जो पात्र नहीं है

निर्वाचन नियमों में विहित प्ररूप मं प्रस्तुत किए गए दावे और आपत्तियां ही स्वीकार किये जा सकते हैं किसी अन्य प्रकार के प्ररूप में नहीं । दावे तथा आपत्तियां छपे हुए फार्म में प्रस्तुत करना जस्री नहीं है, वे प्ररूप की फोटोकापी टंकित या चकमुद्रित व हस्तलिखित प्रति में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं

(i) दावेः– दावे दो प्रकार के हो सकते हैंःअर्थात दावा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है । दावा परिशिष्ठ–8 में उदृधत प्ररूप–क में किया जा सकता है । दावे के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी मतदाता के प्रति हस्ताक्षर होना जरूरी है,

(ii) यदि मतदाता अपना नाम मतदाता सूची के एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तरेत करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप में दावा किया जा सकता है।

(2) <u>आपत्तियां</u>ः– आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती है, अर्थातः–

(i) मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे (जैसे मकान, नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के सम्बन्ध में त्रुटि पर आपत्तिः– ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह

प्रविष्टि सम्बन्धित है । यह आपत्ति परिशिष्ठ–9 में उदृधत प्रारूप ग में की जाएगी ।

(ii) *मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्तिः– ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जा सकती है और वह परिशिष्ठ–10 में उदृधत प्रारूप ख में की जाएगी । इस प्रकार की आपत्ति के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी अन्य मतदाता के हस्ताक्षर होना जरूरी है ।*

(5) *प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दावे तथा आपत्ति के सम्बन्ध में दावेदार या आपत्तिकर्ता को आवेदन कर रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना परिशिष्ठ–8, 9 तथा 10 के साथ लगे । अनुलग्नक में उदृधत प्ररूप में हाथों–हाथ दी जाए, इसमें सुनवाई के लिए वह तारीख अंकित की जाए जो पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दावा या आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का दिन के ठीक बाद दिन पड़ने वाला कार्यकारी दिवस विनिश्चित किया गया हो, साथ ही, इसी मुद्रित प्रारूप में पावती पर इसके हस्ताक्षर करवा लिये जायें या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए ।*

(6) *प्राधिकृत कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि यदि दावाया आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति विहित प्ररूप में आवेदन पत्र देने मे कोई सहायता चाहे तो उसे आवश्यक सहायता या मार्गदर्शन दें ।*

(7) *प्राधिकृत कर्मचारी, प्रतिदिन उसे प्राप्त दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण परिशिष्ठ–12 में दर्शाए गए प्ररूप में दो प्रतियों में तैयार करेगा, विवरण की एक प्रति और आपत्ति के साथ अगले दिन दोपहर से पहले पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज देगा, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्यस्थान के नोटिस बोर्ड पर लगाएगा । नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति चार दिन तक न हठाई जाए, यदि किसी दिन कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त न हो तो उस तारीख से सम्बन्धित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए । दावे और आपत्तियां प्रापत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपराहन 3.00 बजे के बाद व प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।*

(8) *प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में प्रसतुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर उपरोक्त प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए । पूछताछ बिन्दुओं के संबंध में की जानी चाहिएः*

(i) *1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है , स्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि क्या है और यदि ऐसा प्रमाण–पत्र न हो तो क्या अन्य दस्तावेज या परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष है ? यदि मतदाता 18 वर्ष से कही अधिक उम्र का हो तो उसके द्वारा पूर्व में नगरपालिका या विधानसभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण है? क्या ऐसे कारण संतोषजनक है?*

(ii) *उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है उसके परिवार में और कौन–कौन लोग हैं ।*

(iii) *जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हठाये जाने की मांग) की गई है उसकी मृत्यु कब/कहां हुई ?*

(iv) *जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर (तथा नाम हटाये जाने के लिए मांग) की गई है वह कहां रहता है या कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है ?*

(9) *प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट को मान्य करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी बाध्य नहीं है, उससे यह अपेक्षित है कि वह मामले में अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाले और आवयश्यक होने पर अलग से जांच भी करें ।*

(10) *पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा, प्राधिकृत कर्मचारियों से प्रतिदिन पूर्वान्ह में, पिछले दिन से सम्बन्धित समस्त दावों और आपत्तियों के आवेदन–पत्रों को परिशिष्ट–बारह में तैयार किए गए दैनिक विवरण सहित, अपने कार्यालय में मांगने की समुचित व्यवस्था की जाए ।*

अध्याय–5

दावों और आपत्तियों की जांच और उनका निपटारा

पुनरीक्षण प्राधिकारी को अपने अधिकार–क्षेत्र के प्राधिकृत कर्मचारियों से, दावे और आपत्तियों के आवदेन–पत्र के साथ जो ' दैनिक विवरण' (परिशिष्ट बारह) प्राप्त हो, उसमें उल्लिखित प्रकरणों का पंजीकरण, पृथकशः दो 'प्रकरण रजिस्टरों' में किया जाए । दावों के लिये प्रकरण–रजिस्टर, परिशिष्ट–तेरह तथा आपत्ति के लिए परिशिष्ठ चौदह में दर्शाए गए प्ररूप में संधारित किया जाए ।

2. आपत्तियों से सम्बन्धित ऐसे मामलों में, जिनमें मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई हो, (अर्थात प्राप्त आपत्तियों से सम्बन्धित मामला में) आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है । अतएव इस प्रकार के मामलों में आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई के लिए उसके ज्ञात पते पर (अर्थात मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) परिशिष्ट पन्द्रह में दिए गए प्ररूप में तुरन्त सूचना भेजी जाए । सूचना की 'तामील–रसीद' प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख में रखी जाए । इस सूचना में सुनवाई के लिए वही तारीख अंकित की जाए जो कि आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने निर्धारित प्ररूप में उसकी आपत्ति प्राप्त करते समय संसूचित की हो ।

3. पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों पर सुनवाई, उस तारीख को अवश्य करनी चाहिए जो दोवदार या आपत्तिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है । निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्कय जांच कर लेने से, न केवल पक्षकारों को सुविधा होती है वरन कार्य नियमित रूप से निपटाया जाता है और आखरी दिनों के लिए काम का बहुत अधिक बोझ इकटठा नहीं होने पाता, सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिए जाने चाहिए ।

4. पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्य का अधिकांश भाग मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए दावों से संबंधित रहता है, ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिस वर्ष में मतदाता सूची पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः संबंधित नगरपालिका का मामूली तौर पर (अर्थात सामान्यतः) निवासी है ।

जहां तक आयु का प्रश्न है, उसके लिए जन्म तिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे की परीक्षा–प्रमाण पत्र, पाठशाला पंजी या नगरपालिका या ग्राम पंचायत के अभिलेख में लिखित जन्म तिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है अन्यथा आनुषंगिक साक्ष्य (जैसे की भाई–बहनों की आयु) के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए ।

जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात सामान्यतः निवास करने के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं ।

मामूली तौर से निवासी (अर्थात सामान्यतः निवासी) का अर्थः–

मामूली तौर पर निवास स्थान (अर्थात सामान्यतः निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतया सोने के लिए करता है । यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो । वह भोजन या काम, बाहर किसी स्थान पर भी कर सकता है, रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थाई अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है, कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्य निवास को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक वह वहां लौटने में समर्थ है और वहां लौटना चाहता है । इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि सांसद और विधायक, भले ही (सांसद या विधायक के रूप में) अपने कार्यकलापों के सिलसिले में अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर रहते हों फिर भी वह अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हकदार होंगे । यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिए अपने ग्राम या नगर से बाहर चला गया हो उसे उस स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जाएगा । संबंधित ग्रम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या अन्य सम्पति से उसे सामान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी ।

जेलों/अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वार्डों की मतदाता सूची में शामिल नही किए जा सकते जिनमें से ऐसी संस्थाएं स्थित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थाई अवधि के लिए ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों में भी लागू होती है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रय या निकेतन) में लंबे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्य निवास के स्थान पर आते जाते रहने का सिलसिला लंबे अंतराल से बंद हो गया हो, तो उसे उस स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है । जहां ऐसी संस्था स्थित हो । सामान्य सिद्वांत यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, भले ही वह वहां से अस्थाई तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो, परन्तु उसे ऐसे स्थान पर मतदाता के रूप मे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए जहां वह अस्थाई रूप से रह रहा हो ।

5. संदेहास्पद मामलों में दावेदार/आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार कि निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछताछ की जा सकती है । यदि किसी क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में आवदेन पत्र प्राप्त हुए हों उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिए मौके पर ही संक्षिप्त जांच करना बहुत आवश्यक होगा

6. दावेदार/आपत्तिकर्ता का ब्यान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात जैसा कि पुनर्रीक्षण प्राधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्व किया जाए तथा दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा मांग की जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निशुल्क प्रदान की जाए ।

7. पुनर्रीक्षण प्राधिकारी, प्रस्तुत दावों को निपटान के पश्चात उनमे अपने विनिश्चय के अनुसार प्रारम्भिक (प्रारूप) मतदाता सूची को अपने हाथ से संशोधित करेगा । साथ ही वह सूची में किए गए परिवर्तनों को निम्नांकित 3 शीर्षकों में वृगीकृत करते हुए एक पड़ताल रजिस्टर (चेक रजिस्टर) परिशिष्ठ सोलह में दर्ज करेगा ।

(*1*) *परिवर्धन* (ii) *संशोधन तथा* (iii) *विलोपन । यदि इनमें किसी शीर्षक के अन्तर्गत कोई प्रविष्ट न हो संगत शीर्षक के नीचे 'निरंक' लिखेगा । 'पड़ताल रजिस्टर' के प्रत्येक पृष्ठ में वह मोहर लगाकर अपने हस्ताक्षर करेगा और यदि कहीं कोई काटकूट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर करेगा ।*

संशोधित मतदाता सूची दो प्रतियों में तैयार की जाएगी और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे । सूची के अंतिम पृष्ठ में, अंतिम प्रविष्टि के नीचे सहायक पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा तथा अपने पदनाम की मोहर (सील) लगाएगा । वह ऐसी अप्रमाणित मतदाता सूची की एक प्रति तथा 'पड़ताल रजिस्टर' अपने कार्यालय में रखेगा तथा मतदाता सूची की दूसरी प्रति उपायुक्त के कार्यालय में जमा कराए जाने के लिए तुरन्त भेजेगा । साथ में वह प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों और उनके सम्बन्ध में जांच और विनिश्चय सम्बन्धी अभिलेख भी मूलतः भेजेगा । यदि किसी वार्ड की मतदाता सूची के संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति उपायुक्त को प्राप्त न हो तो, दावे और आपत्तियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अगले दिन कार्यकारी दिवस को ही पुनर्रीक्षण प्राधिकारी सूची को अभिप्रमाणित करते हुए पुनर्रीक्षण अधिकारी को सौंप देगा ।

नगरपालिका क्षेत्र के सभी वार्डों की अंतिम मतदाता सूचियां तैयार होते ही, उन्हें वार्डवार (तथा भाग अनुकमांकवार) व्यवस्थित करके या प्रिंटिंग कराने के लिए प्रैस में भेजने की कार्यवाही की जाएगी । मुद्रण कराते समय कोई नाम छूट न जाए या कोई अशुद्धि न हो जाए, इसके लिए पुनर्रीक्षण प्राधिकारी को मुद्रित सूची के मिलान का उत्तरदायित्व कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को सौंपना चाहिए । यदि कोई त्रृटि हुई हो तो उसे इसी स्टेज पर सुधार दिया जाना चाहिए ।

अध्याय–6

पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील

1. निर्वाचन नियम, 10 के उप–नियम (2) प्रावधान के अनुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके आदेश में पांच दिन के अन्दर उपायुक्त को अपील कर सकता है, ऐसी अपील परिशिष्ट–सत्रह में दिए गए प्ररूप में, विवादित आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी । इस प्ररूप की प्रतियां पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त अपील प्राधिकारी के कार्यालय में पहले से ही, पर्याप्त संख्या में चकमुद्रित या मुद्रित कराके रखी जाए और अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, मांग करने पर एक प्रति तत्काल निशुल्क प्रदाय की जाए ।

2. अपीत प्रस्तुत होते ही उपायुक्त द्वारा अपील में सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जाए और तत्काल सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी से मूल अभिलेख तलब किया जाए । सम्बन्धित अधिकारी को यह जिम्मेदारी है कि वह संगत अभिलेख उसी दिन, उपायुक्त के पास पहुंचाए । अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात जैसी कि उपायुक्त ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा ।

3. उपायुक्त का यह प्रयास होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चत तारीख तक उसके पास विचाराधीन सभी अपील प्रकरणों का निराकरण हो जाए ।

<u>उपायुक्त के आदेश पर मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाहीः–</u>

4. उपायुक्त द्वारा, अपील में पारित आदेश की एक प्रति के साथ प्रकरण (मूल अभिलेख) तुरन्त पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज दिया जाए । अपील मान्य किए जाने की स्थिति में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सर्वप्रथम 'प्रकरण रजिस्टर' (परिशिष्ठ तेरह तथा चौदह जैसी स्थिति हो) के अंत में, अपने हाथ से आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसके नीचे, अपील प्रकरण का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं तत्पश्चात सुसंगत अनुपूरक मतदाता सूची (परिशिष्ठ सोलह) के अंत में आवश्यक मोहर लगाई जाए । तथा इस प्रकार ठीक की गई नामावली को पुनः प्रकाशित किए जाए या यदि वह उचित समझे तो उक्त आदेशों के अनुसरण में परिवर्तन और संशोधित की तैयार की गई सूची सहित नियम 7 के अधीन पूर्व प्रकाशित नामावली को पुनः प्रकाशित कराया जाये ।

अध्याय–7

अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन

सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 'प्रकरण रजिस्टर' में की गई प्रविष्टियों के आधार पर 'अनुपुरूक मतदाता सूची' तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए अनुपुरूक सूची परिशिष्ट–सोलह में दिए गए प्ररूप में तैयार की जाए । यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे पुनर्रीक्षण प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत देख–रेख में कराया जाए । इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए जो कि पूर्व में मतदाता सूचियों का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए नियुक्त किए गए थे । प्रत्येक वार्ड के लिए एक अलग अनुपूरक सूची बनाई जाए ।

'परिवर्धन' शीर्ष के अंतर्गत जोड़े गए मतदाताओं के सरल कमांक (सीरियल नम्बर) मूल सूची की कम संख्या के आगे जारी रखे जाएं । उदाहरणार्थ यदि मूल सूची के सुसंगत भाग में अंतिम मतदाता की कम संख्या 981 हो तो परिवर्धन सूची, कमांक 982 से प्रारंभ की जाए और उसे कमशः आगे बढ़ाया जाए ।

'संशोधन' शीर्ष के अंतर्गत मूल मतदातासूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम, गृह कमांक, आयु आदि प्रविष्टियों की अशुद्वियों को दूर करते हुए उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाए । जिन मतदाताओं के नाम संशोधन शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किए जाएं उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों को मूलसूची में लाल स्याही से सुधार दिया जाए ।

'विलोपन' शीर्षक के अंतर्गत ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित किए जाएं जो किसी भी कारण से संबंधित वार्ड में पंजीकृत मतदाता बने रहने के पात्र नहीं है । जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में शामिल किए जाएं उनके नाम मतदाता सूची में, लाल स्याही से, काट दिए जाएं ।

2. पुनर्रीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की नगरनिगम के समस्त वार्डों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तापनुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिए जाने के पश्चात उन्हें कमवार व्यस्थित किया जाए और उन्हें उपायुक्त कार्यालय में सम्बन्धित अधिकारी को तुरन्त सौप दिया जाए । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतियों को पालिकावार समांकित करके उनकी एक फोटोप्रति कराई जाए इस प्रकार तैयार किए गए दो सैटों में से एक सैट अपने पास रखते हुए दूसरा सैट मुद्रण के लिए भेज दिया जाए ।

3. मुद्रण–जिला स्तर पर, अनुपूरक सूचियों को उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाएं जितनी कि मूल मतदाता सूचियों की कराई गई हों, मुद्रण के दौरान 'प्रूफ रीडिंग' का दायित्व सम्बन्धिंत पुनरीक्षण प्राधिकारी का होगा, अनुपूरक सूचियों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उन्हें वार्डवार मूल सूचियों के साथ सलंग्न किया जाए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर कमांक डाला जाए । प्रत्येक वार्ड की अनुपूरक सूची के अंत में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए ।

यदि किसी वार्ड की मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया हो तब भी उसके अंत में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूची जोड़ी जाए और उसे

पुनर्रीक्षण प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए अर्थात उसमें पृष्ठ कमांक दर्ज करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए ।

4. *मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशनः–*

(i) *उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूची का प्रकाशन आवश्यक है । इस हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर, परिशिष्ट–अठारह में दिए गए प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए । उक्त कार्यवाही के साथ–साथ पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रथम पृष्ठ में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अंतर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाएः–*

प्रमाणित किया जाता है कि नगरनिगम_______________ के अंतर्गत आने वाले वार्डों के लिए तारीख 01 जनवरी_____________ के संदर्भ में, तैयार की गई मतदाता सूची की यह अंतिम रूप से प्रकाशित सूची है ।

तारीख_____________

स्थान_____________

मोहर *पुनरीक्षण प्राधिकारी*

(ii) *उपायुक्त द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की वार्डवार दो प्रतियां सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाए और शेष प्रतियां भावी उपयोग और आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अपने कार्यालय की अभिरक्षा में सुरक्षित रख ली जाए ।*

....

अध्याय–8

अन्तिम रूप में प्रकाशित नामावली में नाम सम्मिलित करना

एक व्यक्ति जिसका नाम नियम 11 के अधीन किसी वार्ड की अन्तिम रूप से प्रकाशित नामावली में नाम मतदाता के रू॰ में शामिल नहीं किया गया है, तो वह नामावली में अपने नाम को शामिल करवाने के नियम 14 के अन्तर्गत प्रारूप 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' मे आवेदन कर सकता है । प्ररूप 'घ' का प्ररू॰ परिशिष्ट उन्नीस में दर्शाया गया है ।

नामावली में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन की रीति नियम 13 व 14 के अधीन दोहरी प्रतियों में प्रारू॰ क, ख, ग व घ में से किसी एक में दिया जाये तो उपयुक्त हो और आवेदनपत्र के साथ एक रूपये की फीस सलंग्न की जाये । ऐसा आवेदन पत्र उपायुक्त हो और आवेदनपत्र के साथ एक रूपय की फीस सलंग्न की जाये । ऐसा आवेदन पत्र उपायुक्त को सम्बोधित तथा नियम 19 के अधीन निर्वाचन कार्यकम के प्रकाशन की तिथि से कम से कम 4 दिन के भीतर उसे प्रस्तुत किया जाना होगा । विनिर्दिष्ट फीस या न्यायिक क्षेत्र स्टैम्पों द्वारा अदा की जाएगी या उपायुक्त के पक्ष में किसी भी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराई जाये या इस निमित उपायुक्त से उचित मुद्रित रसीद लेकर नगद अदा की जाएगी । आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ फीस जमा हो गई है या उस द्वारा नगद में जमा कराई गई है के प्रमाण में उसकी प्रति सलंग्न करेगा।

उपायुक्त ऐसे आवेदन–पत्र के प्राप्त होने पर तत्काल निर्देश करेगा कि ऐसे चिपकाने की तिथि से 4 दिन की अवधि के भीतर ऐसे आवेदनों के आक्षेपों के आमंत्रित नोटिस सहित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर लगाई जाए ।

उपायुक्त द्वारा विनिश्चित अवधि समाप्त होने पर प्राप्त आक्षेपों पर विचार किया जाएगा और यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है तो आवेदक नामावली में नाम पंजीकृत करवाने के लिए हकदार है उस वार्ड में निर्वाचन के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि से पहले नामावली में उसका नाम शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे । परन्तु यदि आवेदक का नाम किसी अन्य वार्ड नामावली में पंजीकृत है तो उपायुक्त द्वारा उस अन्य वार्ड के सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा और इसके बाद सूचना मिलने पर आवेदक का नाम उस नामावली से काट दिया जायेगा।

<u>अपील</u>:– नियम 13 व 14 के अधीन दिये गए आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने के दशा में ऐसे आवेदन अस्वीकृति के अगले दिन की तिथि से 7 दिन कर अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग का अपील की जा सकती है ।

<u>प्रत्येक अपील आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापक के रूप में होगी</u>:– जिस आदेश के विरूद्व अपील की गई है उसकी प्रति सलंग्न की जानी होगी । तथा पांच रूपये की फीस जिसकी अदायगी न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा या नगर की जानी होगी । अपील का निर्णय अंतिम होगा । उपायुक्त द्वारा सूची में ऐसे संशोधन करवाये जांएगे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय को सम्बोन्धित करने के लिए आवश्यक हो ।

अध्याय–9

1. मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कागज–पत्रों की अभिरक्षाः

पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियों से संबंधित कागज–पत्र तथा 'प्रकरण रजिस्टर' आदि कागजपत्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरंत बाद ठीक से व्यस्थित करके उपायुक्त को, लेखागार में सुरक्षित रखे जाने के लिए भेज दिया जाए । ऐसे कागज–पत्र मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण के एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखे जाए और तत्पश्चात उन्हें नष्ट कर दिया जाए ।

2. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करनाः–

कोई भी व्यक्ति दो रूपये की फीस का नगद भुगतान करके, जिसके लिए उसे रसीद दी जाएगी । अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है । इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी के कक्ष में उपलब्ध कराई जाए ।

कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार है । प्रमाणित प्रति उक्त कार्यालय से पांच रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का नकद भुगतान करने पर की जाए ।

3. मतदाता सूचियों की बिक्रीः–

बिक्री के प्रयोजन के लिए नगरनिगम के एक वार्ड की मतदाता सूची को एक 'ईकाइ' (यूनिट) माना जाए ओर उसे छोटे भागों (अर्थात भागवार टुकड़ों) में नहीं बेचा जाए । विकय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाए और विकय से प्राप्त राशि (कोषालय) में निम्नांकित मद में जमा की जाएः–

मद कमांक 0070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02 चुनाव–800 अन्य प्राप्तियां– राज्य चुनाव की प्राप्तियां ।

मतदाता सूची तैयार करने के सम्बन्धित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उद्धरण ।

पलिका के संबंध में अधिसूचना	धारा 3 के अन्तर्गत सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र को गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है ।
निर्वाचन खण्ड	धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक पालिका में कम से कम 11 निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग	राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका मतदाता सूचियों की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए और सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बने राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।

परिशिष्ट-एक का अनुलग्नक

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 के अंतर्गत निर्वाचक नामावलियां तैयार करने से संबंधित धारा 16 से 20 का उद्धरण

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं-(1)यदि कोई व्यक्ति-

(क) भारत का नागरिक नही है, अथवा

(ख) विकृतरचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है, अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम उस निर्वाचक नामवली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है।

परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुन: स्थापित कर दिया जाएगा।

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा-एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा- किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें-इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो -

(क) अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नही है,तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ (1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है या न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थयी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नही रह गया है।

(1ख) संसद का या किसी राज्य के विधान-मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचनक्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नही रह गया है।

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिक्त्सिा के लिए पूर्णत: या मुख्यत: पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में,जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्पति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबंध लागू हैं उसके बारे में यह समझा जायेगा कि

वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (1) निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तोर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के ओर ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाए, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

(8) उपधारा (3) ओर (5) में "सेवा अर्हता" से-

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए है, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।

नगरपालिका निर्वाचन	परिशिष्ट दो
मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम 1978 का उद्धरण	
3. कमेटी के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची इन नियमों के नियम 4 से II में विनिर्दिष्ट रीति में उपायुक्त द्वारा तैयार की जाएगी ।	नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदात सूची ।
4. उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की निगरानी, निर्देश व नियंत्रण में इन नियमों के अनुसरण में कमेटी के प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली तैयार करवायेगा ।	नई नामावली सूची तैयार करना।
2. नामावली हिन्दी या ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में तैयार करवाई जायेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयुक्त निदेश कहें ।	
5. कोई भी व्यक्ति किसी नामावली में नवीकरण किये जाने के लिए अपात्र होगा , यदि वह	मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएं ।
(क) भारत का नागरिक नहीं है, या	
(ख) विक्षिप्त है, तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या	
(ग) यह चुनाव जिनमें संसद या राज्य विधान सभा निर्वाचन शामिल है के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित कानून अधीन मतदान क लिए अपात्र ठहराया गया है ।	
(घ) नियत तिथि को आयु अठारह वर्ष से कम है ।	
"व्याख्या" नामावली तैयार करने या संशोधित करने के सम्बन्ध मे नियत तिथि से अभिप्राय है, तैयार या संशोधित किए जाने वाले वर्ष की प्रथम जनवरी ।	
6. (1) नियम 5 के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो नियत तिथि को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है तथा सामान्यतया चुनाव क्षेत्र में रहता है, उस वार्ड की मतदाता सूचि में नाम दर्ज करवाने के लिए हकदार होगा।	मतदाता सूची में दर्ज किए जाने के लिए योग्यताएं ।
(2) किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर किसी वार्ड का सामान्य निवासी नहीं समझाा जाएगा कि उस वार्ड में उसका अपना या उसके कब्जे में निवास स्थान है । अपने सामान्यतया निवास स्थान से अस्थायी तौर पर किसी व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के कारण उसके सामान्य निवासी होने का अधिकार समाप्त नहीं होगा ।	
(3) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड की नामावली में नाम पंजीकृत करने का हकदार नहीं होगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड के लिए नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा ।	
(4) कोई संसद सदस्य या किसी राज्य कि विधायक की पदावधि के दौरान उस चुनाव में जिसकी नामावली में उसका नाम ऐसे सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के समय मतदाता के रूप में पंजीकृत है, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में अनुपस्थिति के कारण सामान्य निवासी होने का अधिकार समाप्त नहीं होगा ।	
(5) यदि किसी दशा में कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि किसी विशेष समय में कोई व्यक्ति सामान्यतया कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का निर्धारण बाद के सभी तथ्यों के संदर्भ में किया जाएगा ।	

7. किसी वार्ड की नामावली के तैयार होते ही उपायुक्त नोटिस देगा जिसमें इसको प्ररूप के तौर पर प्रकाशित करेगा और इस नामावली से सम्बन्धित आपत्तियां तथा दावे पुनरीक्षण प्राधिकारी को देने की तिथि उल्लिखित होगी । प्रत्येक निर्वाचन नामावली तथा नोटिस की प्रति उपायुक्त के कार्यालय, नगरपालिका के कार्यालय तथा उपायुक्त द्वारा निर्धारित सथान (स्थानों) पर लगाई जाएगी, परन्तु दावे तथा आपत्तियां दायर करने के लिए दस दिन से कम अवधि अनुज्ञात नहीं होगी ।	नामावली का पूर्व प्रकाशन ।
8. उपायुक्त किसी प्रथम श्रेणी या दूसरी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को नामावली से सम्बन्धित प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है तथा वार्ड या वार्डों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके लिए वह पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा ।	पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति ।
9. प्रत्येक दावा नियमानुसार किया जायेगा । (क) प्ररूप "क" में (ख) नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा । (ग) जिस वार्ड की नामावली में दावेदार अपना नाम शामिल करवाना चाहता है उस नामावली में पहले से ही शामिल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा । (2) नामावली में शामिल नाम के लिये प्रत्येक आपत्ति नियमानुसार की जायेंगी । (क) प्ररूप "ख" में (दो प्रतियों में) (ख) केवल उस व्यक्ति द्वारा आक्षेप की जायेगी जिसका नाम पहले ही उस नामावली में पंजीकृत है, तथा (ग) जिस नामावली में आक्षेपजनक नाम दिया गया है उसमें शामिल नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी । (3) नामावली के किसी इन्दराज के ब्यौरे अथवा ब्यौरों के सम्बन्ध में प्रत्येक आक्षेप नियमानुसार की जायेगी:- (क)फार्म "ग" में, तथा (ख) केवल उस व्यक्ति द्वारा ही दी जाएगी जिस से प्रविष्टि सम्बन्धित है । (4) प्रत्येक दावा या आक्षेप पुनरीक्षण प्राधिकारी को की जाएगी तथा प्रस्तुत की जायेगी अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी । (5) पुनरीक्षण प्राधिकारी दावों का एक रजिस्टर फार्म 1-क में और आक्षेपों का रजिस्टर प्ररूप 1-ख में तैयार करेगा, और प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा या आक्षेप का ब्यौरा जैसी भी स्थिति हों, उसमें इंदराज करेगा । (6) कोई दावा या आक्षेप जो निर्धारित अवधि के भीतर या निर्धारित ढंग या रीति में दर्ज नहीं किया जाता है जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ऐसा करने का हकदार नहीं है तथा उक्त को दर्ज करवाता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा । (7) यदि किसी व्यक्ति द्वारा आक्षेप या दावा ऐसे किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी को किया जाता है जो इसे प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत नहीं है तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी सक्षम पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता को उसे तुरन्त वापिस भेज देगा । (8) जहां दावे या आक्षेप का निपटान उप-नियम (6)	दावे तथा आपत्तियां करने तथा प्रस्तुत करने का ढंग ।

या उप-नियम (7) के अधीन नहीं किया जाता तथा दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की विहित अवधि समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी प्राप्त हुए आक्षेप की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने ये दिए हैं । सभी दावो और आक्षेपों की सूची अपने कार्यालय में भेजेगा तथा ऐसे दावों व आक्षेपों की सुनवाई की तिथि व स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा ।	
10. (1) नियम 9 के अधीन निश्चित तिथि को तथा स्थान पर पुनरीक्षण प्राधिकारी सम्बन्धित पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सुनवाई करने के बाद दावा तथा आक्षेपों के योग्यता के आधार पर निर्णय करेगा तथा ऐसे दावे की दशा में जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे दावे को स्वीकार करने पर आक्षेप करे प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद या उसे आवश्यक प्रतीत होने वाले साक्ष्य पर विचार करने के बाद तो वह	दावों तथा आक्षेपों का निपटान
(i) इन नियमों के किसी उपबन्ध के अनुरूप न करने वाले किसी दावे या आक्षेप को अस्वीकृत करेगा या ऐसे आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझे ।	
(ii) किसी बाद को खारिज कर देगा जिसमें दावेदार या आक्षेपकार या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है अथवा प्रस्तुत नहीं करता है ।	
(2) ऐसे किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को आवेदन कर सकता है तथा उपायुक्त, जहां तक व्यवहार्य हो, दस दिन में ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है या रद्द कर सकता है या दावे अथवा आक्षेप के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझे।	
(3) उप नियम (1) या उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन पारित किए गए आदेश से कोई भी अपील स्वीकार्य नहीं होगी तथा उनके अधीन पारित किए गए आदेश अन्तिम होंगे ।	
11. (1) पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही प्रस्तुत किए गए दावों तथा आक्षेपों का निपटान करता है तो वह ऐसे दावों तथा आक्षेपों की सूची, उन पर दिए गए अपने आदेशों सहित उपायुक्त को प्रस्तुत करेगा जो नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन पुनर्रीक्षण में पुनर्रीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार नामावली ठीक करायेगा तथा इस प्रकार ठीक की गई नामावली को पुनः प्रकाशित करेगा या यदि वह उचित समझे तो उक्त आदेशों के अनुसरण में परिवर्धन और संशोधन की तैयार की गई सूची सहित नियम 7 के अधीन पूर्व प्रकाशित नामावली को पुनः प्रकाशित करायेगा ।	नामावली का अन्तिम प्रकाशन।
(2) परिवर्धनों तथा संशोधनों की सूची सहित अथवा के बिना कोई सूची उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन पुनः प्रकाशित कोई नामावली ऐसे प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।	
12. (1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट से भिन्न, किसी नगरपालिका के प्रत्येक आम चुनाव से पहले तथा किसी वार्ड के लिए ऐसे किसी वार्ड की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव से पहले सूची निर्धारित ढंग से संशोधित की जायेगी ।	नामावली का पुनरीक्षण ।
परन्तु यदि किसी कारण नामावली पुनरीक्षित नहीं की जाती है तो विद्यमान नामावली की वैधता या उसे लागू रहने पर कोई	

प्रभाव नहीं पड़ेगा । (2) प्रत्येक वार्ड के लिए नामावली उप नियम (1) अधीन या तो गहन रूप से या संक्षेप रूप में, या आंशिक गहन या आंशिक संक्षेप रूप से जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करें, पुनरीक्षित की जाएगी । (3) जब नामावली या उसके किसी भाग का संशोधन गहन रूप से किया जाना हो, तो उसे नये सिरे से तैयार किया जाएगा तथा ऐसे संशोधन पर नियम 4 से 11 ऐसे उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे नामावली में पहली बार तैयार करने पर लागू होते हैं । (4) जब नामावली या उसके किसी भाग का संशोधन संक्षेप में किया जाना हो, तो उपायुक्त सूची के सम्बद्ध भागों के संशोधन सुगमता से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार करवायेगा, तथा ऐसे संशोधन के सम्बन्ध में नियम 7 से 11 तक के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे नामावली को पहली बार तैयार करने के लिए लागू होते हैं। (5) जब किसी समय नियम 7 के साथ पठित उप नियम (3) के अधीन संशोधित नामावली के प्रारूप के प्रकाशन अथवा उप नियम (4) के अधीन संशोधन सूची तथा नियम 11 अधीन उसके अन्तिम प्रकाशन के बीच नियम 14 के अधीन उस समय लागू नामावली में कोई नाम शामिल करने का निर्णय लिया जाये, तो उपायुक्त नाम को संशोधित सूची में भी शामिल करवाएगा, यदि उसके विचार में ऐसे नाम को शामिल करने पर कोई आक्षेप न हो।	
13. यदि उपायुक्त उसको दिए गए आवेदन पत्र पर या अपने स्वं प्ररेणा पर ऐसी जांच जिसे वह ठीक समझे, के बाद संतुष्ट हो जाता है, कि किसी वार्ड की नामावली के किसी प्रविष्ट :- (क)गलत या त्रुटिपूर्ण है: (ख)को इस आधार पर कि सम्बन्धित व्यक्ति ने वार्ड के भीतर ही अपने सामान्य निवास स्थान को बदल लिया है, नामावली में अन्य स्थान पर उसे बदला जाना चाहिए : या (ग)को इस आधार पर निकाल देना चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वार्ड में उसने अपना निवास स्थान छोड़ दिया है या अन्यथा उस सूची में इंद्राज किए जाने का हकदार नहीं है, उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से दिए गए ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार प्रविष्टि को संशोधित कर सकता है, उसका स्थान बदल सकता है या निकाल सकता है: परन्तु खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाई करने से पूर्व उपायुक्त प्रस्तावित कारवाई करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।	नामावली में गलतियां ठीक करना ।
14. ऐसा व्यक्ति जिसका नियम 11 के अधीन किसी वार्ड की अन्तिम रूप से प्रकाशित नामावली में शामिल नहीं किया गया है, तो वह नामावली में अपना नाम शामिल करवाने के लिए प्ररूप क, ख, ग, अथवा घ में आवेदन कर सकता है ।	अन्तिम रूप में प्रकाशित नामावली में नाम सम्मिलित करना ।
14क (1) नियम 13 या 14 के अधीन आवेदन पत्र की दोहरी प्रतियों में प्ररूप क, ख, ग या घ में से किसी एक में दिया जाएगा जो उपयुक्त हो और आवेदन पत्र के साथ एक रूपये की फीस सलंग्न होगी: परन्तु ऐसा आवेदन पत्र उपायुक्त को सम्बोधित तथा नियम 19 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम की प्रकाशन की तिथि से कम से कम चार दिन के	नामावली में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने की रीति ।

भीतर उसे प्रस्तुत किया जायेगा । (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस निम्नलिखित होगी:- (क) न्यायिकेतर स्टाम्पों द्वारा अदा की जाएगी, या (ख) उपायुक्त के पक्ष में किसी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जाएगी, या (ग) इस निमित उपायुक्त से उचित मुद्रित रसीद लेकर नकद जमा की जाएगी, तथा वापिस नहीं की जाएगी। (3) जहां फीस उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन जमा करवाई जाती है वहां आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ खजाने की रसीद सलंग्न करेगा तथा जहां फीस की अदायगी उपनियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन की जाती है वहां आवेदन पत्र के साथ फीस जमा हो गई है या उस द्वारा नकद में अदा कर दी गई है के प्रमाण के उपायुक्त द्वारा इस निमित जारी की गई उचित मुद्रित प्रति सलंग्न करेगा । (4) उपायुक्त ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर तत्काल निर्देश करेगा कि ऐसे चिपकाने की तिथि से चार दिन की अवधि के भीतर ऐसे आवेदनों के आक्षेपों के आमंत्रित नोटिस सहित उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर लगाई जाऐ । (5) उपायुक्त उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक नामावली में नाम पंजीकृत करवाने का हकदार है उस वार्ड में निर्वाचन के लिए नामांकन करने की अन्तिम तिथि से पहले नामावली में उसका नाम शामिल करने के निर्देश करेगा । परन्तु यदि आवेदक का नाम किसी अन्य वार्ड नामावली में पंजीकृत है तो उपायुक्त उस अन्य वार्ड के सम्बन्धित पुनरीक्षक प्राधिकारी को सूचित करेगा और उसके बाद सूचना मिलने पर आवेदक का नाम उस नामावली से काट देगा ।	
14ख. (1) जहां नियम 13 या 14 के अधीन दिया गया आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है वहां ऐसे आवेदन की अस्वीकृति के अगले दिन की तिथि से सात दिन की अवधि में अपील राज्य निर्वाचन आयुक्त को की जा सकेगी । (2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील:- (क) आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी (ख) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति सलंग्न की जायेगा । (ग) पांच रूपये की फीस होगी जिसकी अदायगी न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा या नकद की जायेगी । (3) अपील का निर्णय अन्तिम होगा । (4) उपायुक्त द्वारा सूची में ऐसे संशोधन करवाये जायेंगे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्णय को समोन्धित करने के लिए आवश्यक हो ।	अपील
15. (1) किसी नगरक्षेत्र या उसके किसी वार्ड की नामावली का अन्तिम रूप से प्रकाशन किए जाने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज उपायुक्त के कार्यालय में या राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश द्वारा निर्धारित नये	नामावली तथा सम्बद्ध दस्तावेजों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण ।

स्थान पर उस नामावली का आगामी गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष तक रखा जाएगा । (क) नामावली की एक पूर्ण प्रति तथा पूर्ण हस्तलिखित नामावली और दोहरी पोस्टिंग फाइलें; (ख) प्ररूप नामावली के सभी दावे तथा आक्षेप; (ग) नियम 9 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत (घ) नियम 10 के अधीन उपायुक्त को प्रस्तुत सभी आवेदन; (ड) नियम 14 के अधीन उपायुक्त को प्रस्तुत सभी आवेदन; (च) पुनरीक्षण प्राधिकारी के सभी निर्णय तथा निर्देश। (छ) उपायुक्त के आदेशों के विरूद्ध राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई सभी अपीलें ।	
16. प्रत्येक व्यक्ति को नियम 17 में निर्दिष्ट निर्वाचन दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उनकी साक्षयांकित प्रतियां राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियत फीस अदा करके लेने का अधिकार होगा ।	नामावली तथा सम्बद्ध दस्तावेजों का निरीक्षण ।
17. नियम 17 में निर्दिष्ट दस्तावेजों का उनमें विहित अवधि समाप्त होने पर ऐसी रीति से निपटान किया जाएगा जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयुक्त निर्देश करें ।	नामावली तथा सम्बद्ध दस्तावेजों का निपटान ।

परिशिष्ट-तीन

मुख्य पृष्ठ

2004 में प्रकाशित नगरपालिका/परिषद्/निगम मतदाता सूची

सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम :-
जिले का नाम :-

भाग संख्या :-
क्रमांक

नं०----से----तक

(1) (क) नगरपालिका/परिषद्/निगम का नाम :-
(ख) नगरपालिका/परिषद्/निगम वार्ड संख्या :-
(ग) गली/महौल्ला/बस्ती का नाम :-

क्रम संख्या	23.2.2004 को अन्तिम प्रकाशित विधान सभा मतदाता सूची का क्रमांक/ भाग न०	मकान नं०	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष/स्त्री	1.1.2004 को आयु	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए पहचान पत्र का क्रमांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2000 में प्रकाशित नगरपरिषद् मतदाता सूची

सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम : हांसी
जिले के नाम : हिसार

भाग संख्या :–
कमांक न0——— से ——— तक

(1) (क) नगरपरिषद् का नाम : हांसी

(ख) नगरपरिषद् वार्ड संख्या : 3

(ग) गली/मोहल्ला/बस्ती का नाम: गुसाई गेट से सरकलुर रोड तथा गुसाई गेट से चार कुतूब गेट के अन्दर का क्षेत्र तथा गोल कोठी से गली लाला जसवन्तराय जैन के मकान की ओर तथा मौ0 डडल मिनोचा धर्मशाला का क्षेत्र।

क्रम सं	21/7/99 को अन्तिम प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची का कमांक	मकान नं0	म्तदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष स्त्री	आयु 1 जन. 2000	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए पहचान पत्र का कमांक	क्रम सं	21/7/99 को अन्तिम प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची का कमांक	म्कान नं0	म्तदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष स्त्री	आयु 1 जन. 2000	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए पहचान पत्र का कमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	भाग नं0 35														
1	1	1	श्यामोदेवी	रणजीत सिहं	महिला	68	0102001	26	26	4	कांता	रामकुमार	महिला	26	0102023
2	2	1	प्रताप सिहं	रणजीत सिहं	पुरूष	50	0102002	27	27	4	प्रेमो	रणसिहं	पु0	28	0102024
3	3	1	भगवती देवी	प्रताप सिहं	म0	42	0102003	28	28	4	राजल	रणसिहं	म0	24	0102025
4	4	1	अंगुरी देवी	भीमसिहं	म0	38		29	29	4	सुभाष	रणसिहं	पु0	25	0102026
5	5	1	भीमसेन	रणजीत सिहं	पु0	42		30	30	5	शेर सिहं	हरि सिहं	पु0	63	0102031
6	6	1	सुजान सिहं	रणजीत सिहं	पु0	36	0102006	31	31	5	मेवा देवी	शेर सिहं	म0	60	0102032
7	7	1	ओम प्रकाश	रणजीत सिहं	पु0	36	0102007	32	32	5	विजय कुमार	शेर सिहं	पु0	38	0102033
8	8	1	कुन्ती देवी	ओम प्रकाश	म0	34	0102008	33	33	5	रणवीर कौर	विजय कुमार	म0	38	0102034
9	9	1	महेन्द्र सिहं	रणजीत सिहं	पु0	30	0102009	34	34	5	यशपाल सिहं	शेर सिहं	पु0	33	0102035
10	10	1	राजकुमार	पताप सिहं	पु0	26		35	35	5	लाजवंती	यशपाल सिहं	म0	27	0102036
11	11	2	रामेश्वरदास	कुरडाराम	पु0	68	0102010	36	36	5	लक्ष्मणसिंह	गणपतराम	पु0	63	
12	12	2	गिनादेवी	रामेश्वरदास	म0	62	0102011	37	37	6	ओमप्रकाश	नगीनाराम	पु0	50	0102039
13	13	2	रामकिशन	रामेश्वरदास	पु0	36	0102012	38	38	6	राजबाला	ओमप्रकाश	म0	42	0102040
14	14	2	नेतराम	प्रभुदयाल	पु0	23	0102013	39	39	6	राजन	ओमप्रकाश	पु0	23	0102041
15	15	2	रोशनी	न्तेराम	म0	40	0102014	40	40	7	तारासिंह	रघुनाथ सहाय	पु0	78	0102057
16	16	2	अनिता	रामकिशन	म0	26	0102705	41	41	7	जय भगवान	तारा सिहं	पु0	49	0102062
17	17	2	सरोज	रामेश्वरदास	म0	23	0102706	42	42	7	सरोज	जय भगवान	म0	40	
18	18	3	बादलीदेवी	मनफूलसिंह	म0	73	0102015	43	43	7	सतपाल	तारा सिहं	पु0	42	0102064
19	19	3	सुल्तानसिंह	मनफूलसिंह	पु0	30	0102016	44	44	7	अशोक कुमार	तारासिहं	पु0	39	0102065
20	20	3	कमलेशरानी	सुल्तानसिंह	म0	28	0102017	45	45	7	सीमा	अशोक कुमार	म0	34	
21	21	4	रणसिंह	जोगराज	पु0	60	0102018	46	46	7	सुनील कुमार	तारा सिहं	पु0	32	0102067
22	22	4	भरपाई	रणसिंह	म0	55	0102019	47	47	8	हंसराज	भगवानदास	पु0	32	0102071
23	23	4	अशोक कुमार	रणसिंह	पु0	30	0102020	48	48	8	शान्ती देवी	हंसराज	म0	53	0102072
24	24	4	सुनीता	अशोक कुमार	म0	27	0102021	49	49	8	राजेन्द्र	हंसराज	पु0	32	0102073
25	25	4	रामकुमार	रणसिंह	पु0	28	0102022	50	50	8	महेन्द्र	हंसराज	पु0	30	0102074

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	8	प्रवीन	राजेन्द्र	म0	29	0102075	101	101	19	महेन्द्र सिहं	दीवान सिहं	पु0	35	0102132
52	52	9 क	दीवान सिहं	रणजीत सिहं	पु0	64	0102080	102	102	19	सुनीता	महेन्द्र सिहं	म0	30	0102133
53	53	9 क	राम प्यारी	दीवान सिहं	म0	62	0102081	103	103	19	बलवान सिहं	दीवान सिहं	पु0	23	
54	54	9 क	ईश्वर सिह	दीवान सिहं	पु0	38	0102082	104	104	19	शारदा	दीवान सिहं	म0	33	0102135
55	55	9 क	कृष्णा	ईश्वर सिहं	म0	41	0102083	105	105	20	प्रधुमन	मल्ला राम	पु0	53	0102136
56	56	9 क	कृष्ण कुमार	दीवान सिहं	पु0	36	0102084	106	106	20	राज रानी	प्रधुमन	म0	43	0102137
57	57	9क	ओम पती	कृष्ण कुमार	म0	34	0102085	107	107	20	अनिल कुमार	प्रधुमन	पु0	25	0102138
58	58	10	शान्ती देवी	अर्जुन सिहं	म0	80	0102086	108	108	20	सुशील	हरगोपाल	पु0	31	
59	59	10	ओम प्रकाश	अर्जुन सिहं	पु0	42	0102087	109	109	20	सरोज	सुशील	म0	26	
60	60	10	जिले सिहं	अर्जुन सिहं	पु0	39	0102088	110	110	20	सुमन	प्रधूमन	म0	23	
61	61	10	निर्मला	जिले सिहं	म0	31	0102089	111	111	21	राम बाई	बगडावत	म0	70	0102147
62	62	11	शान्ती देवी	शीश राम	म0	76	0102092	112	112	21	रघवीर सिहं	बगडावत	पु0	41	
63	63	11	प्रेम सिहं	शीश राम	पु0	43	0102093	113	113	21	प्रकाश देवी	रघवीर सिहं	म0	39	0102149
64	64	11	सुखदेई	प्रेम सिहं	पु0	41	0102094	114	114	21	शेर सिहं	गुलाब सिहं	पु0	33	0102150
65	65	11	सुरजमल	शीश पाल	पु0	31	0102095	115	115	21	अनुप बाई	शेर सिह।	म0	25	
66	66	11	शकुन्तला	सुरजमल	म0	29	0102096	116	116	21	सीमा रानी	बलबीर सिहं	म0	25	0102712
67	67	11	कंवर सिहं	प्रेम सिहं	पु0	23	0102707	117	117	22	ऐसी राम	मूलचन्द	पु0	70	0102154
68	68	12	नत्थू राम	शंकर लाल	पु0	53	0102098	118	118	22	कृष्ण देवी	ऐसी सिहं	म0	65	0102155
69	69	12	दया कौर	नत्थू राम	म0	29	0102099	119	119	23	बंसी लाल	मेहर चन्द	पु0	70	0102156
70	70	12	बंसती	शंकर लाल	म0	93	0102100	120	120	23	फुला देवी	बंसी लाल	म0	55	0102157
71	71	12	दया सिहं	नत्थु राम	पु0	29	0102101	121	121	23	रमेश	बंसी लाल	पु0	30	
72	72	12	गुडडी	दया सिहं	म0	25	0102102	122	122	23	सुनीता रानी	रमेश	म0	26	0102159
73	73	12	राम निवास	नत्थुराम	पु0	24	0102103	123	123	23	गुलशन कुमार	बंसी लाल	पु0	25	
74	74	13	राम चन्द्र	माडु राम	पु0	68	0102104	124	124	24	फुला देवी	सुरजन सिहं	म0	78	
75	75	13	अमर सिहं	माडु राम	पु0	53	0102105	125	125	24	कमला देवी	जय सिहं	म0	53	0102162
76	76	13	चन्द्रपती	अमर सिहं	म0	48	0102106	126	126	24	महेन्द्र	जय सिहं	पु0	31	0102163
77	77	13	राजमल	अमर सिहं	पु0	32	0102107	127	127	24	सुनीता	महेन्द्र सिहं	म0	25	0102164
78	78	13	राजबीर	अमर सिहं	पु0	30	0102108	128	128	24	ईश्वर सिहं	जय सिहं	पु0	24	
79	79	13	राज कुमार	अमर सिहं	पु0	23	0102708	129	129	25	श्याम दास	हुक्म चन्द	पु0	25	0102165
80	80	14	हरि सिहं	माडु राम	पु0	60		130	130	25	कृष्ण देवी	श्याम दास	म0	61	0102166
81	81	14	सोना देवी	हरि सिहं	म0	55	0102110	131	131	25	समीर कुमार	श्याम दास	पु0	24	0102170
82	82	14	अशोक कुमार	हरि सिहं	पु0	35	0102111	132	132	25	जगदीश	तेजमान	पु0	48	0102172
83	83	14	शकुन्तला	अशोक कुमार	म0	30	0102112	133	133	26	राज रानी	जगदीश चन्द्र	म0	43	0102173
84	84	16	राम सिहं	लीलु राम	पु0	50	0102117	134	134	26	मदन लाल	तेजमान	पु0	43	0102174
85	85	16	भगवती देवी	राम सिहं	म0	47	0102118	135	135	26	राज रानी	मदन लाल	म0	39	0102175
86	86	16	राम निवास	राम सिहं	पु0	25	0102119	136	136	26	राजेन्द्र कुमार	जगदीश चन्द्र	पु0	25	0102176
87	87	16	जय बिन्दु	राम सिहं	पु0	22	0102709	137	137	26	रविन्द्र कुमार	जगदीश चन्द्र	पु0	23	0102177
88	88	16	मोहन लाल	वासु राम	पु0	54	0102796	138	138	26 क	नन्द लाल	विशाखा राम	पु0	59	0102178
89	89	16	कैलाश	मोहन लाल	म0	44		139	139	26क	माया वन्ती	नन्द लाल	म0	54	0102179
90	90	17	सोना देवी	गोपाल	म0	80	0102123	140	140	26 क	अशोक	नन्द लाल	पु0	34	0102180
91	91	17	राजेन्द्र	गोपाल सिहं	पु0	50	0102124	141	141	26 क	फूला रानी	अशोक कुमार	म0	30	0102181
92	92	17	गीता देवी	राजेन्द्र	म0	48	0102125	142	142	26 क	अनिल कुमार	नन्द लाल	पु0	29	0102183
93	93	17	बलबीर सिहं	गोपाल सिहं	पु0	54	0102126	143	143	26 क	इन्दु रानी	अनिल कुमार	म0	27	0102184
94	94	17	ओमपती	बलबीर सिहं	म0	44	0102127	144	144	26 क	ज्योति कुमार	नन्द लाल	पु0	23	0102185
95	95	17	राम सिहं	गोपाल सिहं	पु0	45	0102128	145	145	27	प्रेम नाथ	तोदूराम	पु0	60	0102186
96	96	17	सोना देवी	राम सिहं	म0	40	0102129	146	146	27	दयावन्ती	प्रेम नाथ	म0	53	0102187
97	97	17	प्रहलाद	राजेन्द्र	पु0	23	0102710	147	147	27	श्रवण कुमार	प्रेम नाथ	पु0	30	0102188
98	98	17	सुशीला	राजेन्द्र	म0	22	0102711	148	148	27	ललिता रानी	श्रवण कुमार	म0	28	0102189
99	99	19	दीवान सिहं	टीटु सिहं	पु0	67	01021130	149	149	27	जुगेन्द्र	प्रेम नाथ	पु0	28	0102190
100	100	19	दुर्गा देवी	दीवान सिहं	म0	65	01021131	150	150	27	स्वीटी	जुगेन्द्र	म0	25	0102714

परिशिष्ट-पांच

नगरपालिका की मतदाता सूचियों के प्रारिम्भक प्रकाशन की सूचना

(नियम 7 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप)

कार्यालय पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

स्थान.....तिथि.....

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि:-

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के उपबन्धों के अंतर्गत नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार हो गई और तारीख.....से .....तक निम्नलिखित स्थानों पर आम लोगों के नि:शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

1. कार्यालय उपायुक्त
   स्थान
2. कार्यालय पुनरीक्षण प्राधिकारी
3. कार्यालय, नगरपरिषद/नगरपालिका.....
4. ऐसे स्थान जो उपायुक्त द्वारा निर्धारित किये जाएं।

2. प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची 01 जनवरी.....के आधार पर तैयार की गई है।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हककारी तारीख के संदर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्ट को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति लिखित में तारीख..... .....से कार्यालय समय के दौरान प्रात: 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक कभी भी (परन्तु तारीख..... को, जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख है, अपरान्ह 3 बजे तक उपरोक्त स्थानों पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है) विहित समय के पश्चात किए जाने वाले दावे पर आपत्ति या विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर
पुनरीक्षण प्राधिकारी

नगरपालिका निर्वाचन परिशिष्ट-छ:

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

स्थान.....

क्रमांक..... दिनांक.....

आदेश

विषयः– नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता के लिए प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारियों को नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य में पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता के लिए नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कागज उपलब्ध कराने तथा उसे लिखने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेगें:-

क्रमांक	प्राधिकृत कर्मचरी का विवरण		क्षेत्र का विवरण	कार्यालय/स्थान जहां बैठकर सौंपा गया कार्य करेंगें	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बद्ध रहेगें
	नाम	पदनाम एंव कार्यालय			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1.
2.
3.
4.

पुनरीक्षण प्राधिकारी

(मोहर)

प्रतिलिपि:-

(1) उपायुक्त.....

(2) नगराधीश.....

(3) संबंधित कर्मचारी द्वारा.....(संबंधित कार्यालय प्रमुख)..... को सूचनार्थ एंव पालनार्थ अग्रेषित है। वे कृपया दिनांक .....को प्रात:/अपराह्न.....बजे स्थान..... ..पर उपस्थित हो, जहां उन्हें पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकांए एंव फार्म आदि उपलब्ध कराए जाएंगें।

उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि-------

(क) मतदाता की सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिए जिस स्थान/कार्यालय में उनकी डियूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रात: 10.00 बजे से लेकर अपराह्न 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एंव गंभीर कदाचरण माना जाएगा। जिसके लिए उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(ख) प्रकाशित सूची, फार्म्स और अन्य कागज-पत्रों को वे संभालकर रखेंगें और उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार होंगें।

(ग) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और वांछित सभी जानकारियां मेरे कार्यालय में प्रेषित करें।

(घ).....-(संबंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक ....से दिनांक.....तक उसकी सामान्य डियूटी से मुक्त रखें। इस अवधि के पूर्व भी उसे प्रशिक्षण आदि के लिए जब भी बुलाया जाये। उसे उपस्थित होने के लिए ताकीद करें।

पुनरीक्षण प्राधिकारी

परिशिष्ट-सात

पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय उपायुक्त ....

क्रमांक................

स्थान..........

दिनांक.........

आदेश

विषयः– नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी की सहायता हेतु अधिकारियों की नियुक्ति।

निम्नांकित राजस्व अथवा विकासस्व अधिकारियों को, नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिए, नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विकासस्व विभाग में धारित) पद नाम	अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगरपरिषद/ नगरपालिका
1.	2.	3.

उपर्युक्त अधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी श्री...........................
पदनाम..........................के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगें,

हस्ताक्षर
उपायुक्त

प्रतिलिपि:-

(1) संबंधित (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एंव पालनार्थ अग्रेषित, उन्हें पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवश्यक फार्मस/सामग्री और निर्देश पुस्तिका पृथकश: उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपरिषद/नगरपालिका................. को सूचनार्थ प्रेषित । वे कृपया पुनरीक्षण प्राधिकारी को इस कार्य में (स्टाफ) संसधानों आदि के सम्बन्ध में पूरा सहायोग दें ।

(3) जिला राजस्व अधिकारी .... को सूचनार्थ प्रेषित । वे कृपया पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का तत्परता से निराकरण कराए।

(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी एवंम .... को सूचनार्थ ।

हस्ताक्षर
उपायुक्त

परिशिष्ट-आठ

प्ररूप-क

(देखिए नियम 9(1)(क)14 तथा 14 क (1))

(नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन पत्र)

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,
नगरपरिषद्/नगरपालिका----------वार्ड संख्या----------

महोदय,

निवेदन है कि ----------से सम्बन्धित उक्त वार्ड के लिए निर्वाचक सूची में मेरा नाम सम्मिलित करने की कृपया करें।

मेरा नाम (पूरा) ----------
पिता/माता/पति का नाम----------
व्यवसाय----------
मेरे निवास स्थान का व्यौरा है:-
मकान संख्या----------
गली/मोहल्ला----------
नगर----------
डाकखाना----------
जिला----------

मैं अपने सर्वोतम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इसके द्वारा घोषणा करता हूं:-

(i) कि मैं भारत का नागरिक हूं,

(ii) कि गत पहली जनवरी को मेरी आयु----------वर्ष----------तथा ----------मास थी।

(iii) कि मैं सामान्यतया उपर दिए गए पते पर रहता हूं,

(iv) कि मैने किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया है,

(v) कि मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है,

या

कि मेरा नाम वर्णित पते पर----------वार्ड में----------
की निर्वाचक सूची में सम्मिलित हो और यदि ऐसा है, तो मेरा निवेदन है कि उसे निर्वाचक सूची में निकाल दिया जाये

स्थान---------- ----------
दिनांक---------- ----------
दावेदार के हस्ताक्षर या अगूठें का निशान

मैं उसी वार्ड अर्थात् चुनाव सूची में सम्मिलित एक निर्वाचक हूं जिसमें निगम से सम्बन्धित वार्ड के दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन पत्र किया है उसमें मेरा क्रमांक----------है। मै इस दावे का समर्थन करता हू तथा इस पर प्रति हस्ताक्षर करता हू।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

नाम(पूरा)----------

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

आवेदन पत्र संख्या----------

दाखिल करने के तिथि----------

सुनवाई तथा स्थगन की तिथि यदि कोई हो---------

पुनरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय----------

पुनरीक्षण प्राधिकारी के

हस्ताक्षर,

टिप्पणी:- यदि यह आवेदन सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद दिया गया है, तो यह जिले के उपायुक्त को सम्बन्धित किया जायेगा।

परिशिष्ट-आठ का अनुलग्नक

नगरपालिका निर्वाचन दावा आवेदन

प्ररूप 'क' के सम्बन्ध में

वार्ड नं०.....नगरपरिषद्/नगरपालिका.....
जिला.....

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिए)
पावती.....
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख.....

.....
हस्ताक्षर या अगुंठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप:-

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख..... को .....बजे पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।

(2) प्रांरभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिर्पोट निम्नानुसार है:-

.....
.....
.....
हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम.....)
नगरपरिषद्/नगरपालिका.....-)

तारीख.....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो.....का निवासी है, द्वारा " प्ररूप" में प्रस्तुत आवेदन को-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त नगरपरिषद्/नगरपालिका के वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामजुंर कर दिया गया है:-

.....

.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी

(*मोहर*)

.....

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो नगरपरिषद्/नगरपालिका..... .....का/की निवासी है, से प्ररूप-ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .....को .....बजे पर की जाएगी, वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

प्राधिकृत कर्मचारी.....

नगरपरिषद्/नगरपालिका.....

तारीख..... वास्ते पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

परिशिष्ट-नौ

प्ररूप-ग

(देखिए नियम 9(3), 13 (क) तथा 14 क (1))

(प्रविष्ट के ब्यौरे पर आपत्ति)

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

..... ----------नगरपरिषद्/नगरपालिका (वार्ड) संख्या----------

महोदय,

निवेदन है कि मुझ से सम्बन्धित प्रविष्ट जो वार्ड संख्या ----------की निर्वाचक सूची के क्रमांक----------के रूप में की गई है, ठीक नहीं है। इसे ठीक किया जाना चाहिए तथा निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:-

---

स्थान:
दिनांक:

निर्वाचक के हस्ताक्षर या
अगुठें का निशान

टिप्पणी:- यदि यह आवेदन पत्र सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद दिया जाता है, तो जिले के उपायुक्त को सम्बोन्धित किया जायेगा।

परिशिष्ट-नौ का अनुलग्नक

नगरपालिका निर्वाचन आपत्ति प्ररूप"ग" के सम्बन्ध में

वार्ड नं०.....नगरपरिषद्/नगरपालिका.....
जिला.....
सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिए)
पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख..... हस्ताक्षर या अगुंठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता.....

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... दिनांक.....

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो नगरपरिषद्/नगरपालिका.....
.....का/की निवासी है, द्वारा प्ररूप-"ग" में प्रस्तुत आपत्ति को...

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त नगरपरिषद्/नगरपालिका की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .....में क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमति/कुमारी.....के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:-
.....
.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी

आवेदन की रशीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो नगरपरिषद्/नगरपालिका .....
.....का/की निवासी है, से "प्ररूप-ग" में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन की सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय.....बजे.....की जाएगी। वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख..... प्राधिकृत कर्मचारी.....
नगरपरिषद्/नगरपालिका.....
वास्ते पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

प्ररूप-ख

(देखिए नियम 9(2), 13 (ग) तथा 14 क (1))
(नाम शामिल करने पर आपत्ति)

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,
नगरपरिषद्/नगरपालिका----------

वार्ड संख्या ----------

महोदय,

मुझे निर्वाचक सूची में वार्ड संख्या ----------के क्रमांक ----------पर ----------के नाम को सम्मिलित करने में निम्नलिखित कारणों से आपत्ति है:-

---

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है उपर वर्णित तथ्य सही है।

इस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित मेरा नाम निम्नानुसार है:-

पूरा नाम----------
पिता/पति /माता का नाम----------
क्रमांक----------
दिनांक----------

आपत्ति कर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान

पूरा डाक पता----------

मैं उसी मतदाता सूची में सम्मिलित निर्वाचक हुं जिसमें उस व्यक्ति का नाम है, जिस पर आपत्ति की गई है, अर्थात् ----------से सम्बन्धित वार्ड संख्या ----------उसमें मेरा क्रमांक----------है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूं तथा प्रति हस्ताक्षर करता हूं।

मतदाता के हस्ताक्षर

तिथि:-
नाम----------
डाक पता----------

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

आपत्ति संख्या----------

दाखिल करने की तिथि----------

सुनवाई तथा स्थगन की तिथि, यदि कोई हो----------

पुनरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय----------

पुनरीक्षण प्राधिकरी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:- यदि यह आवेदन सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद किया जाता है तो जिले के उपायुक्त को सम्बोन्धित किया जायेगा।

नगरपालिका निर्वाचन

आपत्ति

प्ररूप-"ख" के सम्बन्ध में

वार्ड नं०.....नगरपरिषद्/नगरपालिका.....

जिला.....

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख.....

हस्ताक्षर या अगुंठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप:-

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख.....को..... बजे पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिर्पोट निम्नानुसार है:-

.....

.....

तारीख.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी.....

(नाम).....

नगरपरिषद्/नगरपालिका.....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो नगरपरिषद्/नगरपालिका..... .....का/की निवासी है, द्वारा प्ररूप-ख में प्रस्तुत आपत्ति को-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी:-

.....

.....

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजुर कर दिया गया है:-

पुनरीक्षण प्राधिकारी

(मोहर)

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो नगरपरिषद्/नगरपालिका..... .....का/की निवासी है, से प्ररूप-ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .....को .....बजे पर की जाएगी, वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

प्राधिकृत कर्मचारी.....

नगरपरिषद्/नगरपालिका.....

तारीख..... वास्ते पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

परिशिष्ट–ग्यारह

नगरपालिका की मतदाता सूचियों के प्रारम्भिक प्रकाशन की सूचना

(*नियम 7 के अन्तर्गत विहित प्ररूप*)

कार्यालय पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

स्थान..... तारीख.....

सूचना.....

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :–

हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम 1978 के उपबन्धों के अंतर्गत नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार हो गई है और तारीख ..... से तारीख..... तक निम्नलिखित स्थानों पर आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

1. *कार्यालय उपायुक्त स्थान*
2. *कार्यालय, पुनरीक्षण प्राधिकारी*
3. *कार्यालय, नगरपरिषद/नगरपालिका .....*
4. *ऐसे स्थान जो उपायुक्त द्वारा निर्धारित किये जाएं।*

2. *प्रत्येक नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची 01 जनवरी..... के आधार पर तैयार की गई है।*

3. *कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हककारी तारीख के संदर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्ट को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति लिखित में तारीख ..... से कार्यालय समय के दौरान प्रातः 10 बजे से सांय 5.00 बजे तक कभी भी (परंतु तारीख ..... को, जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपरान्ह 3 बजे तक उपोक्त स्थानों पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है) विहित समय के पश्चात किए जाने वाले दावे पर आपत्ति या विचार नहीं किया जाएगा।*

हस्ताक्षर
पुनरीक्षण प्राधिकारी

परिशिष्ट–बारह

नगरपरिषद/ नगरपालिका..... जिला.....

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख.....

भाग–1 आपत्ति

(नाम जोडने के लिए)

क0	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वर्ड और नगरपलिका का विवरण जिसमें नाम जोडे जाने का दावा किया गया है		जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क0	नगरपरिषद/ नगरपालिका	
1.	2.	3.	4.	5.

कार्यस्थान.....
तारीख .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी

भाग–2 आपत्ति

(*प्रविष्टियों के संशोधन के लिए*)

क0	*आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम*	*प्रविष्टि का विवरण जिसे संशोधन किया जाना है*			*जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख*
		वार्ड क0	*नगरपरिषद/ नगरपालिका*	*प्रविष्टि क0*	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

कार्यस्थान.....
तारीख .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी

भाग–3 आपत्ति

(नाम विलोपित किए जाने के लिए)

क0	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशीतारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क0	नगरपरिषद/ नगरपालिका	प्रविष्टि क0	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

कार्यस्थान.....
तारीख .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी

प्ररूप–1–क

देखिए नियम 9(5)

पंजीकरण करने हेतू दावों का रजिस्टर

.....नगरपरिषद/नगरपालिका का क्षेत्र ..... वार्ड स0..... तहसील.....

..... जिला.....

क0 स0	*वार्ड जिस में पंजीकरण करने का दावा किया गया है*	*दावेदार का नाम, पिता का नाम तथा व्यवसाय*	*ऐसे प्रधिकारी को दावा करने की तिथि जिसे ऐसे प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित दावा प्रस्तुत किया गया है।*	*पार्टी के उपस्थित होने के संबंध में टिप्पणी निर्णय को तिथि*	*निर्णय ———— अस्वीकृत*	*पुनरीक्षण प्रधिकारी के हस्ताक्षर*	*उस कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसने पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय को कार्यान्वित किया था तथा तिथि*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6. 7.*	*8.*	*9.*

परिष्ट–चौदह

प्ररूप–1–ख

देखिए नियम 9(5)

पंजीकरण आपत्ति रजिस्टर

नगरपरिषद/नगरपालिका .....वार्ड सं0.....

तहसील.....

जिला.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
क0 सं0	वार्ड	जिन व्यक्तियों के पंजीकरण पर आपति है नाम के नीचे	सूची की संख्या सहित	सूची में आपतिकर्ता का नाम ब्यौरा तथा संख्या	ऐसे प्राधिकारी को आपति प्रस्तुत करने की तिथि जिसे ऐसे प्राधिकारी के प्राथमाक्षर सहित अपति प्रस्तुत की जाती है	ऐसे आदेशिका वितरक का नाम जिसके द्वारा उस व्यक्ति को दूसरी प्रति देने के लिए भेजी गई है, तथा तिथि जिस पर आपति की गई है	आदेशिका वितरक की रिर्पोट का सारांश तथा तिथि	पार्टी को उपस्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी सहित निर्णय की तिथि	निर्णय / स्वीकृत	अस्वीकृत	पुनरीक्षत प्राधिकारी के हस्ताक्षर	उस कर्मचारी के हस्ताक्षर जिस के द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी निर्णय को कियान्वित किया था तथा तिथि

परिशिष्ट–पंद्रह

कार्यालय पुनरीक्षण प्राधिकारी.....

प्रकरण कमांक ..... स्थान .....

तारीख.....

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

.....

.....

.....

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नगरपरिाद/नगरपालिका ..... जिला..... ..... की मतदाता सूची में, वार्ड कमांक..... के अंतर्गत सरल कमांक ..... पर आपका नाम शामिल किये जाने पर आपसे संबंधित प्रविटि के ब्योरे पर, निम्नांकित मतदाता ने आपत्ति की है :–

(आपत्तिकर्ता का नाम और पता)

.....

.....

आपत्ति के आधार, सक्षेप में, इस प्रकार है:–

.....

.....

2. उपरोक्त आपत्ति पर मेरे द्वारा तारीख ..... को समय 10.30 प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान ..... में स्थित है, सुनवाई की जाएगी।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहें, उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हों। अन्यथा मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करके उसका निराकरण कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर.....

(मोहर) *नाम .....*

पुनरीक्षण अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील (आक्षेपित व्यक्ति का नाम) .... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख .... को कर दी है

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

(*तामिल करने वाला कर्मचारी*)

नोट :– यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए।

सूचना की तामील रसीद

प्रकरण कमांक .....

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख.....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(*पूरा पता.....*)

(*आक्षेपित व्यक्ति*)

अनुपुरक मतदाता सूची

नगरपरिषद/नगरपालिका ..... जिला.....

(1) परिवर्धन वर्ष .....

क्रमांक	वार्ड क0	ग्राम	गृह क0	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष या महिला	आयु
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

(2) संशोधन

मूल सूची	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रवष्टि

(3) विलोपन

	मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम

पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील
(नियम 10(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप")

स्थान .....

तारीख.....

प्रति,

उपायुक्त.....
जिला.....

विषयः– पुनरीक्षण प्राधिकारी.....(नगरपरिषद/नगरपालिका.....)
के आदेश कमांक ..... तारीख ..... के विरूद्ध अपील।

महोदय,

विषयान्तर्गत नगरपरिषद/नगरपालिका की मतदाता सूची तैयार करने के लिये नियुक्त प्रभारी पुनरीक्षण प्राधिकारी, श्री..... के संदर्भित आदेश से व्यथित होकर मैं, उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूं, विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति/दावा किया थाः–

.....

.....

.....

3. मेरी अपील के आधार निम्नांकित है :–

(1) ----------

(2) ----------

4. निवेदन है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एंव तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी का विवादित आदेश निरस्त किया जाए तथा मेरा दावा/मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए,

यदि अपीलार्थी का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तो उसका विवरणः–

ग्राम .....

वार्ड कमांक.....

मतदाता कमांक.....

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)----------

नाम (पूरा)----------

पिता/पति का नाम .....

.....

पता.....

घोषणा

मैं उपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे सर्वोतम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित कथन सत्य हैः–

.....

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

नाम (पूरा)----------

संलग्न (1) पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश
तारीख..... की प्रतिलिपि
(2) अपील के समर्थन में प्रस्तुत अन्य
दस्तावेज (यदि कोई हो)

अपील की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

श्री/कुमारी/श्रीमति.....पिता/पति का .... के आदेश तारीख ..... के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई, तारीख ..... को प्रातः 10.30 बजे की जाएगी, अपीलार्थी आवश्यक साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हो।

.....

हस्ताक्षर

उपायुक्त.....

तारीख .....

परिशिष्ट–अठारह

कार्यालय पुनरीक्षण प्राधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका.....जिला.....

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपरिषद/नगरपालिका .....जिला..... की मतदाता सूची हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम (i) *के अनुसार 01 जनवरी ..... के संदर्भ में संशोधनों सहित तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय तथा उपायुक्त के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।*

तारीख.....

स्थान.....

(*हस्ताक्षर*)
पुनरीक्षण प्राधिकारी

(*पता.....*)

परिशिष्ट–उन्नीस

प्ररूप–घ

(देखिए नियम 14 तथा 15)

(चुनाव सूची में प्रविष्टि के स्थान परिवर्तन हेतू आवेदन पत्र)

सेवा में

उपायुक्त

.....

महोदय

निवेदन है कि (XX *स्वयं/अर्थात्*) ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री* ... . *से सम्बन्धित उपर वर्णित वार्ड की चुनाव सूची के कमांक* .... *मकान संख्या* ..... *पर की गई प्रविष्टि को इस सूची के मकान संख्या* ..... *पर अन्तरिम किया जाए, क्योंकि मैंने उक्त मतदाता में अपना सामान्य निवास स्थान उक्त मकान में बदल लिया है जो कि उसी (वार्ड) में है।*

मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस वार्ड का मतदाता हूं और मेरा नाम इस सूची के कमांक .... *मकान संख्या* .....*पर दर्ज किया जा रहा है।*

तिथि.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(पूरा डाक पता)

XX *लागू न होने वाले शब्दों को काट दे।*